PARLIAMENT LIBRARY

सी बी -(दो) सं० 374

लोक सभा

संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991
(नये भाग 9क को अंत:स्थापित करना एवं 12वीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(14 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 1992/आषाढ़, 1914 (शक)

मूल्य : रुपये 16.00

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	संयुक्त समिति की संरचना	(iii)
2.	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)
3.	असहमति संबंधी कार्यवाही सारांश	(xv)
4.	संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक	1
परिशिष्ट एक	: विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव	11
परिशिष्ट दो	: राज्य सभा में प्रस्ताव	12
परिशिष्ट तीन	: संघों/संगठनों/व्यक्तियों इत्यादि की सूची, जिनसे ज्ञापन प्राप्त किये गए थे	13
परिशिष्ट चार	: संघों/संगठनों/व्यक्तियों इत्यादि की सूची, जिनसे प्रश्नावली प्राप्त की गई थी	15
परिशिष्ट पांच	: समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची	16
परिशिष्ट छः	: संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	17

संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति (नये भाग 9क को अंत:स्थापित करना एवं 12वीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

समिति की संरचना

श्री के. पी. सिंह देव—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री गिरधारी लाल भार्गव
5. प्रो. मालिनी भट्टाचार्य
6. श्री प्रबीन डेका
7. प्रो. अशोकराव आनन्दराव देशमुख
8. श्री दाऊ दयाल जोशी
9. श्री शंकरराव दे. काले
10. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल
11. कुमारी पद्मश्री कुड्डुमुला
12. श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. श्री सूरज मंडल
14. श्री येल्लैया नन्दी
15. डा. देवी प्रसाद पाल
16. श्री हरि केवल प्रसाद
17. श्री इब्राहिम सुलेमान सेट
18. कुमारी शैलजा
19. श्री हरि किशोर सिंह
20. श्री पी. सी. थॉमस

राज्य सभा

21. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
22. श्री एन. ई. बलाराम
23. श्री राधाकिशन मालवीय
24. *श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
25. **श्री गुलाम रसूल मट्टू
26. श्री एस.के.टी. रामचन्द्रन
27. श्री संतोष कुमार साहू
28. श्री दिग्विजय सिंह
29. श्री के.एन. सिंह
30. श्री एस. विडुतलै विरुम्बी

---

*4.7.1992 से राज्य सभा से सेवा निवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

**श्रीमती विजय चक्रवर्ती के राज्य सभा से सेवा निवृत्त होने पर 13.5.1992 से मनोनीत।

सचिवालय

1. श्री जी.एल. बत्रा—अपर सचिव
2. श्री एस.सी. गुप्ता—संयुक्त सचिव
3. श्री आर के. चटर्जी—उप सचिव
4. श्री राम कुमार—सहायक निदेशक

विधायी सलाहकार

1. श्री के.एल. मोहनपूरिया—सचिव
2. श्री बी.एस. सलूजा—संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार
3. श्री के.एन. चतुर्वेदी—उप विधायी सलाहकार

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री आर.वी. पिल्लई—अपर सचिव
2. श्री के. धर्मराजन्—संयुक्त सचिव
3. श्री आर. पी. एस. पवार—उप-निदेशक
4. डा. (श्रीमती) किरण चड्ढा—उप-निदेशक

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (नये भाग 9क का अंतःस्थापन एवं बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

अध्याय एक

1.1 मैं, संयुक्त समिति का सभापति, जिसे भारत के संविधान में अर्थात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 9क का अन्तःस्थापन एवं बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में आगे और संशोधन करने के लिए विधेयक* भेजा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर उसका यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1.2 विधेयक को लोक सभा में 16 सितम्बर, 1991 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव लोक सभा में श्रीमती शीला कौल, शहरी विकास मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत किया गया था। (परिशिष्ट-एक)

1.3 राज्य सभा ने उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति 21 दिसम्बर, 1991 को दी थी। (परिशिष्ट-दो)

1.4 राज्य सभा से प्राप्त संदेश लोक सभा समाचार भाग-दो में 24 दिसम्बर, 1991 को प्रकाशित हुआ।

1.5 समिति की कुल 13 बैठकें हुई। समिति की पहली बैठक 27 जनवरी, 1992 को हुई थी। इस बैठक में समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों, बार काउंसिलों/बार एसोसिएशनों, वाणिज्य मण्डलों और अन्य संगठनों तथा व्यक्तियों आदि से जो विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखते हों, से अपने विचारार्थ संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों के बारे में 24 फरवरी, 1992 तक ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

समिति ने पुनः निर्णय लिया कि विषय पर विस्तृत प्रश्न सूची शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की जाए, जो इन संगठनों, निकायों, व्यक्तियों आदि को भेजी जाए ताकि वे समिति को अपना ज्ञापन भेज सकें।

समिति ने इच्छुक पार्टियों से विधेयक के प्रावधानों पर मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय लिया तथा ज्ञापन/प्रश्न सूचियों की प्राप्ति के पश्चात् सभापति को मौखिक साक्ष्य हेतु संगठनों/व्यक्तियों इत्यादि का चयन करने के लिये प्राधिकृत किया।

तदनुसार, ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य के लिए अनुरोध मंगाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति 28 जनवरी, 1992 को जारी की गई थी। आकाशवाणी के महानिदेशक तथा दूरदर्शन नई दिल्ली के महानिदेशक को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु को लगातार तीन दिन तक अंग्रेजी तथा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का अनुरोध किया गया था।

1.6 समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव सहित ज्ञापन आमंत्रित करने संबंधी एक परिपत्र सभी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य क्षेत्र प्रशासन, बार काउंसिलों/बार एसोसिएशन नगर निगमों/नगर समितियां इत्यादि के मुख्य सचिवों तथा व्यक्तियों को भी जारी किया गया।

1.7 13 फरवरी, 1992 को हुई अपनी बैठक में समिति ने महसूस किया कि प्रेस विज्ञप्ति से आशानुरुप प्रचार नहीं मिला। अतः हिन्दी और अंग्रेजी के समाचारपत्रों सहित प्रादेशिक भाषाओं के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाये। तदनुसार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दैनिक में ज्ञापन मंगवाने संबंधी विज्ञापन दिया गया।

विधेयक के प्रावधानों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने के लिये समिति ने विभिन्न संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार किया। तदनुसार समिति ने ज्ञापन भेजने की समयावधि को 31 मार्च, 1992 तक बढ़ा दिया।

1.8 समिति को विधेयक के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न संघों/संगठनों चैम्बर्स आफ कामर्स तथा व्यक्तियों, इत्यादि से टिप्पणियों/सुझावों सहित 40 ज्ञापन और प्रश्नावली के 36 उत्तर प्राप्त हुए। (देखिए सूची परिशिष्ट-तीन और चार पर)

1.9 31 मार्च, 8 और 22 अप्रैल तथा 6 मई, 1992 को दिल्ली में हुई अपनी बैठकों में समिति ने 10 स्थानीय संगठनों और व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया, समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-पांच में दी गई है।

1.10 22.4.1992 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निम्नलिखित तीन उपसमितियां बनाई जिन्होंने 25 मई से 2 जून, 1992 तक की अवधि में

विभिन्न स्थानों का दौरा किया तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों के साथ चर्चा की।

उप-समिति एकः कलकत्ता, गुवाहाटी, शिलांग, पटना, लखनऊ, और शिमला।

उप-समिति दोः भुवनेश्वर, हैदराबाद, मद्रास, पांडिचेरी, त्रिवेन्द्रम, कोचीन और गोवा।

उप-समिति तीनः जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, बम्बई और बंगलौर।

समिति ने 14 जून, 1992 को अपनी बैठक पोर्ट ब्लेयर में भी की और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

1.11 19 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक में समिति ने नगर पालिका वित्त संबंधी समिति के प्रतिवेदन में अध्याय पर विचार करने हेतु छह सदस्यों की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया। उप समिति की बैठक 25 जून, 1992 को हुई जिसमें प्रारूप अध्याय को मामूली संशोधन के पश्चात् अनुमोदित कर दिया।

1.12 समिति का प्रतिवेदन सभा में बजट सत्र 1992 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात् 28 फरवरी, 1992 को प्रस्तुत किया जाना था। 28 फरवरी, 1992 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति का समय एक बार बढ़ा कर मानसून सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात् 10 जुलाई, 1992 कर दिया गया।

1.13 समिति ने 17, 18 और 19 जून, 1992 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खंडवार विचार किया।

1.14 समिति ने 3 जुलाई, 1992 को हुई बैठक में निर्णय लिया कि उनके समक्ष दिये गये साक्ष्य को मुद्रित किया जाये तथा संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्राप्त विधेयक के प्रावधानों के बारे में टिप्पणी/सुझावों वाले ज्ञापनों के दो सेट प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रख दिए जायेंगे।

1.15 समिति ने 3 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकृत किया।

1.16 विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियों के बारे में अनुवर्ती पैराओं में विस्तार से दिया गया है।

अनुच्छेद 243त—परिभाषायें

1.17 समिति ने विधेयक में जिला आयोजना समिति तथा महानगर आयोजना समिति से संबंधित नए अनुच्छेद 243 यघ और 243 यङ शामिल किए हैं जिनमें "जिला महानगर क्षेत्र" तथा "पंचायत" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए "जिला महानगर क्षेत्र" और "पंचायत" शब्द इस अनुच्छेद में क्रमशः खंड (ख), (ग) और (ङ) के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा खंड (ग) में दी गई नगरपालिका क्षेत्र की परिभाषा को थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया है ताकि इसे अनुच्छेद 243 (थ) के साथ जोड़ा जा सके जिसके अंतर्गत किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के लिए नगर-पालिका क्षेत्र किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। इस अनुच्छेद के अन्य खंडों को तदनुसार पुनरांकित किया गया है।

अनुच्छेद 243द—नगरपालिकाओं का गठन

1.18 समिति महसूस करती है कि इस अनुच्छेद की भाषा अनुच्छेद 243घ की भाषा के अनुरूप बनायी जानी चाहिए और नगरपालिका के विभिन्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को एक खंड में शामिल किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है विद्यमान खंड (1) का लोप कर दिया गया है और विद्यमान खंड (2) को पुनरांकित करके खंड (1) बना दिया गया है। विद्यमान खंड (3) से (5) को मिलाकर नया खंड (2) बना दिया गया है।

1.19 समिति की यह राय है कि नगरपालिकाओं में संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसलिए संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नए खंड (2) के उपखंड (दो) तथा (तीन) जोड़े गए हैं।

अनुच्छेद 243ध—वार्ड स्तर तथा अन्य स्तरों पर समितियों का गठन तथा संरचना

1.20 यह भावना निरन्तर बढ़ रही है कि बड़े नगर निकायों में नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधियों से आसानी से नहीं मिल सकते क्योंकि वार्डों के आकार बहुत बड़े हो गये हैं। इसलिए समिति का विचार है कि तीन लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाना चाहिए। वार्ड समितियों की संरचना तथा प्रादेशिक क्षेत्रों से संबंधित विवरण और ऐसी समितियों में स्थानों को भरने के तरीके राज्य विधायिकाओं पर छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा समिति महसूस करती है किसी नगर पालिका में किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य वार्ड समिति का सदस्य होना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि वार्ड समिति जहां किसी वार्ड समिति में एक वार्ड हो, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य वार्ड समिति का सभापति होना चाहिए। तथापि, जहां किसी वार्ड समिति में दो या अधिक वार्ड हों, वहां नगरपालिका में उन वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक को वार्ड समिति के सदस्य सभापति के रूप में निर्वाचित करें। अनुच्छेद 243ध में तदनुसार संशोधन किया गया है।

1.21 समिति यह भी महसूस करती है कि इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी भी बात से किसी राज्य के विधानमंडल पर वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए कोई प्रावधान बनाने में कोई प्रतिबंध नहीं लगता तदनुसार अनुच्छेद 243ध में प्रावधान कर दिया गया है।

अनुच्छेद 243न—भाग 9 के कुछ अनुच्छेदों का नगरपालिकाओं पर लागू किया जाना

1.22 समिति महसूस करती है कि पंचायतों से संबंधित भाग नौ के सभी उपबंध, जो इस विधेयक में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित भाग नौ क पर उपभोज्य बना दिए गए है उन्हें उपयुक्त संशोधनों सहित पूर्ण रूप में पुनरूद्धृत किया जाना चाहिए। तदनुसार भाग 9 का अनुच्छेद 243घ खंड (4) के परन्तुकों को छोड़कर यहां पर अनुच्छेद 243 न के रूप में शामिल कर लिया गया है।

1.23 समिति का विचार है कि आरक्षित सीटों का चक्रानुसरण को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसी सीटों का चक्रानुसरण राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद के खंड (1) और (3) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 243प—नगरपालिकाओं आदि की कार्यकाल अवधि

1.24 समिति महसूस करती है कि किसी नगरपालिका के गठन संबंधी चुनाव इसका पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले तथा यदि पहले ही यह भंग हो जाये तो इसके भंग होने के छह माह के अंदर हो जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी राज्य की विधायिका एक संकल्प पारित करे कि सूखे, बाढ़, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा या आपात काल के कारण चुनाव उक्त छः माह की अवधि में नहीं हो सकते। तो चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं किन्तु ये चुनाव नगरपालिका के भंग होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर हो जाने चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि नगरपालिका के निलम्बन अथवा इसे भंग करने को विधि सम्मत बनाने के लिए राज्य विधायिकाओं के लिए एक समर्थकारी प्रावधान बनाया जाना चाहिए और जहां कोई नगरपालिका निलम्बित अथवा भंग कर दी जाती है तो उसे ऐसी विधि द्वारा गठित किसी प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई नगरपालिका निलम्बित कर दी जाती है तो ऐसे निलम्बन से अनुच्छेद 243ध के अंतर्गत गठित वार्डों तथा अन्य समितियों के बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भाग नौ के अनुच्छेद 243 ङ को तदनुसार उपरोक्त पहलू शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन सहित अनुच्छेद 243 प में अन्तर्विष्ट कर लिया गया है।

अनुच्छेद 243फ—सदस्यता हेतु निर्हरताऐं

1.25 समिति महसूस करती है कि खंड (1) के विद्यमान उपखंड (क) से (घ) को उपखंड (ङ) के प्रावधानों में शामिल कर लिया गया है जो राज्य विधायिका के चुनाव के लिए निरर्हता से संबंधित है। समिति यह भी महसूस करती है कि शिक्षा के प्रसार से छोटे नगरों तथा शहरों में लोगों के बीच जागरूकता का स्तर बढ़ गया है और 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति कोई सरकारी कार्यालय चलाने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है। अतः समिति का यह विचार है कि जिन लोगों की आयु 21 वर्ष की हो गई है उन्हें नगर पालिका चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि निरर्हता संबंधी विवादों को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय हेतु ऐसी विधि से जैसा राज्य विधानमंडल कानून द्वारा उपबंधित करता है, सौंपा जाये। भाग—नौ के अनुच्छेद 243च के खंड (1) के उप खंड (क) से (घ) को लोप करके तथा विद्यमान उपखंड (ङ) और (च) को उपखंड (क) और (ख) नाम देकर तदनुसार उसे अनुच्छेद 243फ में शामिल कर लिया गया है ताकि उपरोक्त बातों को समाहित किया जा सके।

अनुच्छेद 243ब—नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और दायित्व इत्यादि

1.26 विद्यमान अनुच्छेद 243 फ को बिना किसी परिवर्तन के अनुच्छेद 243ब पुनः अंकित किया गया है।

अनुच्छेद 243भ—नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्तियां तथा उनकी निधियां

1.27 भाग नौ के अनुच्छेद 243 ज को मामूली परिवर्तन के साथ अनुच्छेद 243भ के रूप में सम्मिलित किया गया है ताकि "पंचायत" शब्द के स्थान पर "नगर पालिका" शब्द रखा जा सके।

अनुच्छेद 243भ—वित्तीय समिति की पुनरीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

1.28 भाग—नौ के अनुच्छेद 243(झ) को अनुच्छेद 243म के रूप में शामिल किया गया है। इस परिवर्तन के औचित्य को प्रतिवेदन के अध्याय—दो में और विस्तार से बताया गया है।

अनुच्छेद 243य—नगर निगमों के लेखाओं का रूप तथा इन निगमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा

1.29 विद्यमान अनुच्छेद 243भ को बिना किसी परिवर्तन के अनुच्छेद 243 य में पुनरांकित किया गया है।

अनुच्छेद 243यक—नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंध में उपबंध करने हेतु राज्य विधान मंडल के अधिकार

1.30 विधेयक में यह उपबंधित किया गया है कि नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख, निदेश तथा नियंत्रण में होने चाहिए जहां तक संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनावों का संबंध है मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी इसके प्रति जवाबदेह है। समिति महसूस करती है कि नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर उपबंध बनाने का काम राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया जाये। भाग—नौ के अनुच्छेद 243 (ट) में तदनुसार संशोधन किया गया है और उसे अनुच्छेद 243 य क के रूप में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 243 य ख—संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू

1.31 समिति का यह विचार है कि इस विधेयक द्वारा भाग—नौ क अंतःस्थापित किए जाने वाले उपबंध सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने चाहिए तथा राष्ट्रपति को इन प्रावधानों को लागू न करने के जो अधिकार हैं उनका लोप किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को केवल इन प्रावधानों को किसी भी संघ राज्य क्षेत्रों में अथवा उसके किसी भाग में उन छूटों तथा परिवर्तनों के अधीन जो वे चाहते है तथा जिसे सामान्य अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया है, के अलावा उन्हें लागू करने का अधिकार होना चाहिए। भाग-नौ के अनुच्छेद 243ठ में तदनुसार संशोधन कर उसे अनुच्छेद 243 य ख के रूप में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 243 य ग—कुछ मामलों में इस भाग का लागू न होना

1.32 विद्यमान अनुच्छेद 243ब को अनुच्छेद 243 य ग के रूप में पुनरांकित किया गया है। समिति महसूस करती है कि संसद को इस विधेयक के भाग—नौ को जो प्रस्तावित उपबंध शामिल करने है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों में लागू करने का जो अधिकार है उसे वह तब ही प्रयोग में लाये यदि उस राज्य के विधान मंडल द्वारा इस हेतु प्रस्ताव पारित न कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के खंड (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 243 य घ—जिला आयोजना संबंधी समिति

1.33 साधारणतया पंचायत राज संस्थानों की आयोजना तथा संसाधनों का जिला स्तरीय आवंटन का कार्य जिला परिषद में होता है। शहरी क्षेत्रों के संबंध में नगर निकाय निर्धारित कार्य को अपने क्षेत्रों में करती हैं। तथापि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं जो शहरी-ग्रामीण अंतरापृष्ठ से संबंधित हैं। जिले के समग्र विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है तथा ग्रामीण तथा शहरी संस्थानों के बीच निवेश के आवंटन के संबंध में भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतः समिति महसूस करती है कि पूरे जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित किए जाने की दृष्टि से जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य में जिला आयोजना समिति के गठन का उपबंध होना चाहिए। इन समितियों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 जिला स्तर पर पंचायत के चुने हुए सदस्य और जिले में नगर पालिकाओं के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या तथा जिले में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होने चाहिए। उक्त समितियों के गठन से संबंधित अन्य ब्यौरे, समिति में उक्त पदों को किस प्रकार भरा जाएगा, ऐसी समितियों को जिला आयोजना से संबंधित कार्य किस प्रकार सौंपे जायेंगे तथा किस प्रकार इन समितियों के अध्यक्षों को चुना जाएगा, को स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया जाए। जिला आयोजना समिति के प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय पंचायत तथा नगरपालिकाओं के बीच के सामान्य हितों जैसे स्थानिक आयोजना, पानी का बंटवारा तथा वास्तविक तथा प्राकृतिक संसाधनों, आधारभूत ढांचा तथा पर्यावरणीय संरक्षण का एकीकृत विकास, उपलब्ध संसाधनों की सीमा तथा स्वरूप चाहे वह वित्तीय हो अथवा अन्यथा, को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार की प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय उक्त समिति को ऐसे संस्थानों तथा संगठनों से भी परामर्श करना चाहिए जैसाकि राज्य सरकारें निर्दिष्ट करें। इस प्रकार तैयार की गई प्रारूप विकास योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा संबंधित राज्य सरकार को भेजी जायेगी। तदनुसार अनुच्छेद 243 य घ अन्तःस्थापित किया गया है।

अनुच्छेद 243 य ङ—महानगर योजना के लिए समिति

1.34 देश में 23 महानगर हैं जहां महानगर क्षेत्र में न केवल मुख्य शहर के निगम आयेंगे अपितु अनेक अन्य स्थानीय निकाय, मुख्य शहर निगम के आसपास के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र भी आएंगे। शताब्दी के अंत तक इनकी संख्या 45 हो जाएगी। ये महानगर क्षेत्र कई प्रकार से आसपास के क्षेत्रों में लोगों के जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए कि सीमावर्ती क्षेत्र का उचित प्रकार से विकास हो, इन क्षेत्रों के लिए मुख्य शहर की योजना के सहयोग से उचित योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। इन शहरों में केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि इन निवेश योजनाओं के साथ विकासात्मक योजनाओं तथा महानगर शहर की आवश्यकताओं को समन्वित किया जाये।

1.35 अतः उपयुक्त योजना तंत्र की आवश्यकता है जो विभिन्न स्थानीय निकायों तथा ऐसे महानगर क्षेत्रों में ग्रामीण तथा शहरी निकायों के बीच के संबंधों पर ध्यान देगी। इस समय अनेक महानगरों में जो प्रणाली अपनाई जा रही है वह महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है। प्रत्येक महानगर विकास प्राधिकरण को दिए गए कार्य अलग-अलग होते हैं। कुछ मामलों में वे केवल निकायों की आयोजना तैयार करते हैं जबकि कुछ मामलों में, विशेषकर बड़ी योजनाओं में वे कार्यकारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय ये निकाय प्रजातांत्रिक संस्थान नहीं हैं, उन्हें सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। तथापि, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि इस निकाय में कुछ प्रतिनिधि क्षेत्र के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों से हो, फिर भी यह मंच अभी भी लोकतांत्रिक नहीं है, जहां कि इसमें क्षेत्र के स्थानीय निकायों के विचार सुस्पष्ट किये जा सकें।

1.36 अतः समिति यह महसूस करती है कि समग्र रूप से महानगर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति के गठन का उपबंध होना चाहिए। उक्त समितियों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में

नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा और अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं को और पंचायतों का जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाने चाहिए। उक्त समितियों के गठन से संबंधित अन्य ब्यौरे, जैसेकि इसके पदों को किस प्रकार भरा जाएगा, ऐसी समितियों में भारत सरकार तथा राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों तथा संस्थानों का प्रतिनिधित्व, महानगर क्षेत्र के लिए आयोजना तथा समन्वय से संबंधित कार्य जिन्हें ऐसी समितियों को सौंपा जायेगा, तथा ऐसी समितियों के अध्यक्ष किस प्रकार चुने जाएंगे को राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया जाए। महानगर योजना समिति प्रारूप विकास योजना तैयार करने में महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के संबंध में नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, अवसंरचना तथा पर्यावरणीय संरक्षण का एकीकृत विकास, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र उद्देश्य तथा प्राथमिकताएं, उन पूंजी निवेशों की सीमा और स्वरूप जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य है तथा अन्य उपलब्ध संसाधन चाहे वे वित्तीय हों अथवा अन्यथा, को भी ध्यान में रखना होगा। उक्त समिति का ऐसी संस्थाओं और संगठनों से भी परामर्श करना चाहिए जैसाकि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। उक्त समिति का अध्यक्ष इस प्रकार तैयार की गई प्रारूप विकास योजना को संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा। तदनुसार अनुच्छेद 243 य छ को अन्तःस्थापित किया गया है।

अनुच्छेद 243 य च : विद्यमान नियमों और नगरपालिकाओं का बने रहना

1.37 भाग-नौ के अनुच्छेद 243 ढ को यहां थोड़े से संशोधन के बाद 243 य च के रूप में समाविष्ट किया गया है, ताकि "संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992" को "संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992" के संदर्भ में परिवर्तित किया जा सके।

अनुच्छेद 243 य छ : निर्वाचन संबंधी विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन

1.38 भाग-नौ के अनुच्छेद 243 ण ठ का यहां अनुच्छेद 243 य छ के रूप में थोड़े संशोधन के साथ अनुच्छेद "243 ट" से अनुच्छेद "243 य क" के संदर्भ में परिवर्तित करने के लिए समाविष्ट किया गया है।

खंड 3 :

1.39 समिति महसूस करती है कि केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद 280 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उक्त आयोग राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिशें कर सके कि राज्य के वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय कर सके तदनुसार विधेयक में खंड 3 को अन्तःस्थापित किया गया है। इस संशोधन की आवश्यकता के बारे में इस प्रतिवेदन के अध्याय-दो में और स्पष्ट किया गया है।

खंड 4 :

1.40 वर्तमान खंड 3 को खंड 4 के रूप में पुनरांकित किया गया है। समिति महसूस करती है कि खंड 4 द्वारा अन्तःस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित बारहवीं अनुसूची में पर्यावरण संरक्षण, स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लाइट्स, बस स्टाप और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं, बूचड़खानों तथा चर्मशोधन शालाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बारहवीं अनुसूची की मद 8 में तदनुसार संशोधन किया गया है तथा उक्त अनुसूची में नई मदें 17 और 18 अन्तःस्थापित की गईं।

खंड 1 तथा विनियमन सूत्र :

1.41 किए गए संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं।

अध्याय दो

अनुच्छेद 243म तथा खंड 3—नगरपालिका वित्त

2.1 बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ, नगरपालिका निकाय स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी हैं तथा वे पर्याप्त रूप से इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप गंदी बस्तियों, अनियोजित कालोनियों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ रही है, जिसके कारण नागरिक सुविधाओं की स्थिति खराब हो रही है तथा शहरी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। अब अधिकतर सार्वभौमिक स्तर पर भी यह माना गया है कि नगरपालिका निकायों/नगरपालिकाओं के पास निपटान के पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है।

2.2 इस अपर्याप्तता के अभाव के संबंध में विधेयक में, कार्यकलापों तथा कराधान शक्तियों और राजस्व सहभागिता के प्रबंधों के संबंध में राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के बीच संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए उपबंध किये गए हैं। संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक (वर्तमान विधेयक में अनुच्छेद 243प के रूप में अन्तर्विष्ट) के साथ पठनीय अनुच्छेद 243न में विशेष रूप से राज्य विधान मंडल को विभिन्न नगरपालिकाओं को विधि द्वारा निम्न शक्तियां प्रदान कराने के उपबंध किये गए हैं ताकि वह निर्धारित प्रक्रियाओं और सीमाओं के अनुसार करों, शुल्कों और चुंगियों तथा फीस को लागू कर सकें तथा एकत्र कर सकें। इसमें राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को नगरपालिकाओं को सौंपने तथा राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है। संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक (इस विधेयक में अनुच्छेद 243म के रूप में अन्तर्विष्ट) के अनुच्छेद 243झ के साथ पठनीय अनुच्छेद 243न नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन करों, शुल्कों आदि को सुनिश्चित करने के लिए जो नगर पालिकाओं को सौंपे जाएंगे तथा नगरपालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले सहायतार्थ अनुदान, इन्हें राज्यों तथा नगरपालिकाओं के बीच राजस्व के वितरण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें करने का प्रावधान किया गया है। तथापि समिति यह अनुभव करती है कि जैसाकि निम्नांकित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। विधेयक में ये उपबंध पर्याप्त नहीं हैं।

नगरपालिका राजस्व का ढांचा :

2.3 नगरपालिका राजस्व में मूलतः राजस्व के आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत शुल्क तथा गैर-कर संबंधी राजस्व दो संघटक हैं। कर राजस्व में सम्पत्तिकर से प्राप्त राजस्व,* चुंगी/प्रवेश शुल्क तथा अन्य कर जैसे व्यवसाय, व्यापार तथा वाणिज्य, तीर्थ यात्रा कर, विज्ञापन कर आदि शामिल हैं। जबकि गैर-कर संबंधी राजस्व प्रयोक्ता प्रभारों, शुल्क तथा दंडों, किरायों तथा सृजन की गई परिसम्पत्तियों आदि की कीमतों से प्राप्त होता है। बाह्य राजस्व स्रोतों में राजस्व राज्य तथा केन्द्र द्वारा दी गई सहायता से प्राप्त होता है।

2.4 नगरपालिका कर, नगरपालिका राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के अनुसार 54 प्रतिशत से अधिक राजस्व नगरपालिका करों द्वारा प्राप्त होता है तथा 13.5 प्रतिशत गैर-कर स्रोतों से प्राप्त होता है। तथापि राज्यवार तुलना करने से यह पता चलता है कि कर राजस्व के संबंध में समरूपता का अभाव है, जोकि आय का मुख्य स्रोत है। और इससे ऐसे करों से राजस्वों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और वांछित अनुमानों के अनुसार बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें वृद्धि नहीं हो रही है जिसके कारण इन संसाधनों में अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अनन्य रूप से वृद्धि हो रही है। कर राजस्व के हिस्से में वर्ष 1974-75 में नगरपालिका का कुल राजस्व जो 63.6 प्रतिशत था, कम होकर वर्ष 1986-87 में 54.3 प्रतिशत रह गया। समिति द्वारा साक्ष्य के दौरान एकत्र की गई जानकारी दर्शाती है कि स्थिति और भी खराब हो सकती है। राज्यों से वित्तीय हस्तांतरण इस प्रकार से कर-राजस्व के पश्चात् नगर पालिका राजस्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं। बाह्य साधनों के संबंध में 1986-87 में किए गए अध्ययन के अनुसार अनुदान 16.7 प्रतिशत और दिए गए हिस्से का राजस्व 5.8 प्रतिशत बनता है। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राजस्व कर और अनुदान सहायता अधिकतर मामलों में शहरी केन्द्रों के आकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न होता है। यह जम्मू और कश्मीर में (59%) मेघालय में (53%) और त्रिपुरा में (79%) है। सहायता अनुदान नगरपालिका की आय का एक प्रमुख साधन है।

संसाधनों में अंतर :

2.5 वित्त आयोगों और अन्य आयोगों/समितियों के अनुरोध पर किए गए असंख्य अध्ययनों में विद्यमान राजस्व-व्यय के मध्य के अंतर का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। नगरपालिका निकायों के संबंध में किए गए प्रमुख अध्ययनों से उनकी निराशाजनक दशा की सुस्पष्ट तस्वीर एवं उनके मूलभूत कार्यों को करने के संबंध में भी नगरपालिका राजस्वों और संसाधनों की आवश्यकता का उल्लेख नीचे किया गया है।

2.6 जकारिया समिति (1963) ने अनुमान लगाया था कि बिल्कुल न्यूनतम स्तरों पर नागरिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए भी आवश्यकताओं और संसाधनों के मध्य अन्तर 9 करोड़ रुपए वार्षिक के लगभग था, (न्यूनतम स्तरों को 1960-61 के मूल्यों के प्रति व्यक्ति व्यय के सिद्धांतों के परिपेक्ष्य

---

*। इसमें सेवा कर जैसे जल कर, सफाई कर, बिजली कर, स्वास्थ्य उपकर, आदि शामिल है।

में परिभाषित किया जा रहा है) इसी प्रकार से राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (1983) ने संकेत किया था कि वर्ष 1979-80 की विद्यमान सेवाओं के स्तर पर, नगरपालिका निकायों को सेवाओं की किस्मों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वृहत्त पूंजी निवेश को छोड़कर, मात्र रख-रखाव के लिए 833 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त रूप से चाहिए।

2.7 विद्यमान ढांचे के खराब स्थिति और नये आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखकर योजना आयोग द्वारा शहरी विकास के वित्त-पोषण पर गठित किए गए कार्य बल (1983) ने अनुमान लगाया है कि विद्यमान जनसंख्या के लिए और शहरी जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि के लिए 1986—91 तक की अवधि हेतु निवेश का अनुमानित स्तर 6,000-10,000 करोड़ रुपए और देश में शहरी आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 8000 करोड़ रुपए का निवेश (1980 के मूल्यों पर आधारित) वास्तविक और आवश्यक होगा।

2.8 नौवें वित्त आयोग हेतु राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (1989) द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में भी यह संकेत किया गया है कि जकारिया समिति द्वारा सुझाए गए स्तरों पर मूलभूत सेवाओं के संचालन और इन्हें बनाए रखने के लिए 1990—95 की अवधि में 5 वर्षों की अवधि में उपरोक्त नमूने मात्र में अंतर्ग्रस्त 159 नगरपालिका निकायों* के लिए लगभग 2681.4 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यह राशि नगरपालिका निकायों द्वारा इस अवधि के दौरान कराधान और कार्य-निष्पादन के विद्यमान स्तरों पर राज्यों से संसाधन हस्तांतरण एवं स्वयं के प्रयासों से प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है। तथापि वित्तीय आवश्यकताओं में, यदि नगर पालिका निकाय अपने व्यय के स्तरों को, "अधिक सम्पन्न"** नगरपालिका निकायों द्वारा रखे जा रहे स्तरों के बराबर वृद्धि करने का मार्ग चुनती है तो इसमें 6992.6 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

2.9 हालांकि नगरपालिका निकायों की मांगों में निरन्तर वृद्धि हुई है, तथापि राजस्व में उचित अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, शहरी विकास में वित्त-पोषण पर कार्य बल (1983) के अनुसार पिछले दशक में नगरपालिका राजस्व की वृद्धि, केन्द्र और राज्य सरकारों की 17.5 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की तुलना में 15 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त कर राजस्व के हिस्से में स्पष्ट गिरावट और सरकार से अनुदान सहायता पर बढ़ती हुई निर्भरता का पता चलता है।

2.10 राज्यों से नगरपालिका निकायों को निधियों के हस्तांतरण के संबंध में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि नगर पालिका निकायों में अनुदान सहायता की तुलना में सहभागी-करों के रूप में निधियों का हस्तांतरण अत्यधिक कम भूमिका अदा कर रहा है। जबकि वर्ष 1986-87 में नगरपालिका आय का अनुदान घटक में स्वयं की आय का योगदान 16% था और उसी वर्ष में करों के हिस्सों के माध्यम से राज्य का योगदान केवल 6% था।

2.11 देश के कुल कर राजस्व में नगरपालिका सरकारों का अंश 1960-61 में 8 प्रतिशत से घटकर 1980-81 में 4.5 प्रतिशत रह गया है जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या में 16 प्रतिशत से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 157 नमूना नगरपालिका निकायों के विश्लेषण पर आधारित राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1986-87 में हिस्से में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

संसाधनों का संवर्धन :

2.12 संसाधन अंतर के अनुमानों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अपने आधारभूत उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु सक्षम बनाने के लिए नगरपालिका निकायों के वित्तीय स्रोत में संवर्धन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। अंतर को कम करने के लिए स्थानीय निकायों में कर प्रयासों, कर समर्थता और राजकोष प्रबंधन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसमें पूर्ण समर्थता स्थापित करने के विचार से कराधानों में वृद्धि करने हेतु नगरपालिका स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए तथा शहरी सेवाओं के वित्त-पोषण हेतु संसाधनों का उत्तरदायित्व केवल मात्र शहरी स्थानीय निकायों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता चूंकि नगरों का राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है, अतः कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की नींव रखने और शहरी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने तथा शहरी उत्पादकता में वृद्धि करने, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु शहरी आधारभूत ढांचे की नींव बनाये रखने और उस के लिए वित्तीय भार में हिस्सेदारी करने का उत्तरदायित्व और राज्य सरकारों का भी होना चाहिए। इस संबंध में, केन्द्र से राज्यों और राज्यों से नगरपालिकाओं को संसाधनों का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संग्रहण संबंधी प्रयास विविध होने चाहिए (क) अधिक कर-संग्रह और प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना (ख) केन्द्र राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को धन-तंत्र की पुनर्संस्थापना (ग) नए कर लगाकर अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण और नगरपालिका निकायों द्वारा तंत्र में वृद्धि करने के स्रोतों का नवीकरण करना।

2.13 कर और गैर-कर राजस्व नगरपालिका की आय का लगभग दो-तिहाई बनता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक प्रयासों से अतिरिक्त

---

*। ये अनुमान 159 शहरों के प्रत्यर्थी नमूने पर जिनमें शहरों की कुल संख्या के परिप्रेक्ष्य में 73% और शहरों की कुल जनसंख्या का लगभग 63% के परिप्रेक्ष्य में एक लाख जनसंख्या वाले शहरों के वर्ग (1981) पर (12 महानगरों को छोड़कर) आधारित है।

**। "अधिक सम्पन्न" नगर पालिका निकायों में 15 नमूना नगरपालिकाओं के व्यय स्तरों का औसत।

राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है। हालांकि नगरपालिका सरकारों को प्रदत्त कर शक्तियों के मामले में राज्यों के बीच अधिक भिन्नताएं नहीं हैं, तथापि कर-शक्तियों को लागू करने, करों के दर ढांचे और दी गई छूटों में उल्लेखनीय भिन्नताएं विद्यमान हैं। यहां नगरपालिकाओं को अपनी कर-संबंधी स्वायत्ता धारित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कर-ढांचे को शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता परिहार्य है, फिर भी नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से भिन्न वर्गों से संबंधित नागरिकों को उनके द्वारा दिए गए प्रतिस्थापित कर के बावजूद, कतिपय आधारभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इसलिए एक श्रेणीकृत कर ढांचा अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो "अधिक सम्पन्न" हैं उन पर ऊंची दर से कर लगाया जा सके और समाज के गरीब वर्गों के लोगों को कम से कम उनके द्वारा वहन कर सकने वाली दरों पर आधारभूत नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

2.14 नगरपालिका निकायों द्वारा संग्रहित प्रमुख करों में चुंगीकर और सम्पत्ति कर शामिल है। सम्पत्ति कर से वसूल किए गए राजस्व, पर दरों के अवास्तविक अप्रगमन, भिन्न प्रकार की छूटों और संग्रहण के कमजोर स्तरों का प्रभाव पड़ता है। यह वसूली स्थिर ही रहती है क्योंकि शहर की लगभग एक तिहाई संपत्तियों को कर से छूटप्रदान की हुई होती है। इनमें संविधान के अनुच्छेद 285 में किए गए प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार की संपत्तियां भी शामिल होती है। राजस्व संग्रह की आवधिक रूप से निगरानी करने और दरों तथा संपत्ति-करों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर एवं सरकारी संपत्तियों के संबंध में सेवा प्रभारों में वृद्धि करके राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभारों के विषय से संबंधित अनुदेशों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और सरकार को सेवा प्रभारों के रूप में किसी अन्य संपत्ति पर देय करों के समान राशि का भुगतान करने हेतु विचार करना चाहिए। वर्तमान अनुदेशों में निर्माण/अधिग्रहण के समय पर "पूंजी लागत" पर रोक लगाने और रेलवे की तरह कुछ विभागों के साथ पूर्व समझौतों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसके परिणामस्वरूप सेवा प्रभारों में पर्याप्त कमी आई है। इन अनुदेशों की पुनरीक्षा और आवश्यक संशोधन इस आधार पर लागू किए जाने की आवश्यकता है जो भारत सरकार और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए उचित हों।

2.15 संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में संपत्ति की स्थिति, उपयोग, निर्माण स्तर और आकार को ध्यान में रख कर इसे संयुक्त क्षेत्र क्रमों पर आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है। जिनके अतिरिक्त, कर संग्रह में सुधार और कानूनी विवादों में रुके पड़े बकायों के चरणबद्ध परिसमापन से अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हो सकेगी।

2.16 चुंगी कर राजस्व वसूली का एक प्रमुख स्रोत रहा है, यद्यपि बाद में अनेक राज्यों ने चुंगी को समाप्त कर दिया है क्योंकि इस कर के लगाने के परिणामस्वरूप अनुचित परेशानी और राजस्व की चोरी हुई है। शहरी विकास के वित्त पोषण संबंधी कार्य बल के अनुसार, चुंगी में 16% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो सकती है। जबकि सम्पत्तिकर के मामले में 10% से कुछ कम वृद्धि होगी। जहां चुंगी समाप्त की गई है वहां उसकी क्षतिपूर्ति सहायता अनुदान द्वारा की गई है। तथापि, नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान में दी गई वृद्धि, चुंगी कर को समाप्त करने से हुई हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे नगरपालिका के राजस्व की वृद्धि में थोड़ी कमी आयी है और राज्य पर आश्रित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में, यह स्मरण किया जा सकता है कि राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने भी यह टिप्पणी की है कि उन राज्यों में जहां चुंगी कर नहीं लगाया जाता है, वहां पर सेवाओं का स्तर सामान्यतः खराब रहता है। सामान्यतः स्थानीय शहरी निकाय चुंगी कर को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव के विरूद्ध होते हैं क्योंकि इससे उन्हें पर्याप्त और नियमित (दैनिक) रूप से आमदनी होती है। लेकिन इसके साथ ही वर्तमान निर्धारण की प्रक्रिया और कर संग्रहण की कठिनाईयों को समाप्त करने की आवश्यकता है। चुंगी कर के निर्धारण और संग्रहण की पद्धति के सरलीकरण के लिए वैधानिक और प्रशासनिक रूप से कोई भी प्रयास नहीं किए गये हैं। समिति यह महसूस करती है कि चोरी रोकने और परेशानी को कम करने की दृष्टि से चुंगी कर के निर्धारण और संग्रहण के उपायों को सुव्यवस्थित करने और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। यदि यह माना जाता है कि चुंगी कर को समाप्त करने से लाभ है तो नगरपालिकाओं के लिए चुंगी कर की भांति उपयुक्त क्षतिपूरक तंत्र, जो संसाधनों का सृजन कर सके, को विकसित किया जाना चाहिए।

2.17 अन्य करों से राजस्व संग्रहण नगण्य होता है और स्पष्टतः नगरपालिका निकाय अपने नगरपालिका नियमों में कतिपय कर लगाने के उपबंधों के बावजूद कतिपय करों को लगाने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। यदि इनको लगाया जाये तो निश्चय ही अतिरिक्त आय होगी।

2.18 कारखानों और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विधि विशेष सफाई कर और अतिरिक्त भूमि पर कर लगाकर राजस्व की वसूली के नए स्रोत हो सकते हैं। सामाजिक परिसंपत्तियां बनाने और उनके रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी विशेषतः व्यापारिक भागीदारी, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए दी गई भूमि का मूल्य निर्धारण करने में (अर्जन की लागत, आधारभूत ढांचे का विकास, और शहरी विकास की लागत वसूल करने के लिए), नगरपालिका निकायों के वर्तमान कमजोर संसाधन के आधार को मजबूत करने के लिए इन सभी का पता लगाने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। नगरपालिका क्षेत्रों और कस्बों में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण कर लगाने पर विचार किया जा सकता है।

2.19 गैर-कर राजस्व मूलतः शुल्क, किराया, उपयोक्ता प्रभार आदि के रूप में होता है। शुल्कों के संबंध में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरलीकरण करना, बेहतर लेवी, स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोक्ता प्रभारों को पर्याप्त रूप में लगाना और विद्यमान मूलभूत ढांचे का उचित मूल्यांकन करने से संसाधन आधार में वृद्धि हो सकती है।

2.20 उपर्युक्त के अलावा, नगरपालिका निकायों को अपने प्रशासनिक व्यय और प्रतिस्थापना व्यय को कम करना चाहिए।

2.21 नगरपालिका निकाय मनोरंजन कर, मोटरवाहन कर, सम्पदा पंजीयन, आदि जैसे स्थानीय आधार वाले करों के मामले में पर्याप्त राजस्व नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।

2.22 अधिकांश राज्यों में प्रचलित सहायता अनुदान से संबंधित प्रणाली तदर्थ आधार पर है तथा राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने कहा है कि यदि सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों को निर्धारित कर दिया होता और यह बता दिया होता कि उसका कितना भाग स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए और किस आधार पर मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अरबन अफेयर्स) ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य को राज्य की संचित निधि से नगरपालिका निकायों को निधियां प्रदान करने के लिए एक तंत्र निर्धारित करना चाहिए। मुद्रास्फीति जनसंख्या वृद्धि और अन्य कारकों का परिकलन करने के लिए सावधिक पुनरीक्षा करनी चाहिए। अनुदानों को नगरपालिका निकाय द्वारा संसाधनों को गति प्रदान करने के प्रयासों, अनुदान के नियमित निर्गम तथा व्यय संबंधी पहलू को बराबर करने से सम्बद्ध करना चाहिए। कुछ राज्य आयोगों ने भी यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक नगरपालिका निकाय की विशिष्ट समस्याओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाए तथा सेवा संबंधी मानदंडों के बीच मौजूदा अंतराल की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत निधियां प्रदान करके और क्रियात्मक तथा मरम्मत प्रयोजनों हेतु आवर्ती प्रकृति के अनुदान प्रदान करके पाटा जाए।

2.23 सामान्य रूप से शहरी विकास हेतु योजना संबंधी निधियों को राज्य एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया जाता है तथा एक बार परिसम्पत्तियां सृजित कर लेने पर, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नगरपालिका निकायों पर आ जाती है। इसमें न तो राज्य एजेंसियों के लिए गैर योजनागत सहायता की कोई संकल्पना की गई है और न ही नगरपालिका प्राधिकारियों के लिए संसाधनों का कोई आश्वासन है जिसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों में अंतराल पैदा हो गया है। उसके अतिरिक्त नगरपालिका योजनाओं का जिला और राज्य योजनाओं के साथ एकीकरण न करने की परिणति भी संसाधनों के नियमित रूप से हस्तांतरण न करने के रूप में होती है।

2.24 बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय संसाधनों के अंतराल का नियमित मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र न होने से भी स्थानीय निकायों को निधियों का पर्याप्त रूप से आवंटन सुनिश्चित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त "हुडको" को छोड़कर शहरी विकास हेतु अन्य कोई भी शीर्ष वित्तीय संस्थान नहीं है। परिणाम यह हुआ है कि पूंजी बाजार के लिए हमारे पास कोई पहुंच नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी अड़चन है।

2.25 समस्या के परिणाम पर विचार-विमर्श करते हुए आठवां और नौवां वित्त आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि स्थानीय निकायों को अपनी हमेशा बढ़ती हुई नानाविध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। आठवें वित्त आयोग ने न तो स्थानीय शहरी निकायों के सेवा स्तर में वृद्धि करने के लिए किसी सहायता अनुदान की सिफारिश की थी और न ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की भीड़-भाड़ वाली शहरी समस्या से निपटने के लिए किसी उपबंध की व्यवस्था की थी क्योंकि उनकी नजर में योजना आयोग इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त निकाय था।" तथापि एक उल्लेखनीय बदलाव लाते हुए नौवें वित्त आयोग ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों को गंदी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार करने हेतु तथा प्रत्येक को एक बार का 50 करोड़ रु० का अनुदान तथा बम्बई और कलकत्ता शहरों में आधारभूत सुविधाओं के उपबंध की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी।

2.26 योजना आयोग ने शहरी सेवाओं पर टिप्पणी करते हुए अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा था कि "शहरों में होने वाले जमघट को, अपनी प्रकृति के कारण ही, अपने स्वरूप अस्तित्व के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। तथापि इस संबंध में हमारे अधिकांश शहरी क्षेत्रों की स्थिति संतोषजनक होने से बहुत परे है, वास्तव में सामान्य रूप से तस्वीर बहुत ही बुरी है। इस तथ्य के अलावा कि हमारे कई नगरपालिका निकाय मरणासन्य हैं...उनके पास कर प्रणाली भी अविकसित और जीर्णशीय है तथा वे निकाय के लिए आवश्यक पूंजीगत निधियों के अभाव से भी ग्रस्त हैं।" योजना आयोग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिका निकाय को पुनरुज्जीवित करने और नगरपालिका कर प्रणाली तथा सामान्य प्रशासन में सुधार करने सहित शहरी विकास हेतु एक विस्तृत योजना तैयार करने की सिफारिश की गई है योजना दस्तावेज आगे कहता है कि "चूंकि तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं विस्मयकारी हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक रूप से वे काफी दूर-दूर तक फैल चुकी हैं अतः हमारे शहरों और नगरों की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस प्रसंग में केन्द्र द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल होना और सहायता प्रदान करना न्यायसंगत है।"

2.27 जबकि आठवीं योजना में महानगरों के मौजूदा कर और गैर-कर संसाधनों को तर्कसंगत बनाने तथा राज्यों द्वारा स्थानीय सरकार को निधियों के आवंटन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने में भारत सरकार को शामिल करने संबंधी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है (आई० डी० एस० एम० टी० की योजना को छोड़कर)।

2.28 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि योजना आयोग तथा वित्त आयोग, दोनों ने ही शहरी जन-सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति तथा नगरपालिका निकायों को राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय रूप से मजबूत करने की अनिवार्य आवश्यकता की समस्या से पल्ला झाड़ लिया है। नगरपालिका निकायों को अपने दायित्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए निधियों में वृद्धि की आवश्यकता होगी। संसाधनों की उपलब्धता समपरिमाणिक तथा लचीली, दोनों होनी चाहिए, जो अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करने के अतिरिक्त निधियों के निश्चित आवंटन के क्षेत्र तथा सहायता राशि प्रमात्रा, जो केन्द्र द्वारा राज्यों को और राज्यों द्वारा नगरपालिकाओं को दी जाएगी, में वृद्धि करने के लिए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है।

2.29 केन्द्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का संचालन सांविधानिक उपबंधों द्वारा किया जाता है। दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसा कोई भी सांविधानिक तंत्र नहीं जो बढ़ते हुए शहरीकरण तथा शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण नगरपालिकाओं पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों से उत्पन्न वित्तीय संसाधनों के अंतराल का नियमित रूप से मूल्यांकन कर सके तथा शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों का हस्तांतरण तार्किक रूप से और दृढ़ आधार पर कर सके।

2.30 ऊपर बताई गई स्थितियों को देखते हुए, समिति राज्य स्तर पर वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधी विधेयक के इस उपबंध का समर्थन करती है। समिति का यह भी मत है कि विधेयक में प्रस्तावित राज्य वित्त आयोग भी नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों पर विशेष रूप से विचार करे। उसे यह विचार भी करना चाहिए कि राज्य की संचित निधि में किस सीमा तक भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से वृद्धि की जाए जिससे कि वह नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ा सके। समिति का यह भी मत है कि केन्द्रीय वित्त आयोग को राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए उपायों पर सोचना चाहिए जिससे कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ा सके। तदनुसार अनुच्छेद 243म में संशोधन कर दिया गया है तथा संविधान में अनुच्छेद 280 में संशोधन करने के लिए एक नया खंड (3) जोड़ दिया गया है।

2.31 संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
जुलाई, 1992

के० पी० सिंह देव,
सभापति,
संयुक्त समिति।

असहमति संबंधी कार्यवाही सारांश

मेरा यह विचार है कि "बारहवीं अनुसूची" का बनाया जाना जिसमें मूल रूप से सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टियां अंतर्विष्ट हैं, निरर्थक कार्य है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

यदि "बारहवीं अनुसूची" केवल दृष्टांत स्वरूप है, मात्र पुनरावृत्ति है और यह सूची दो के साथ अतिव्याप्त हो जाती है। अतः इससे राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है। खंड 243ब (क) में उल्लिखित शब्द कि नगरपालिकाओं को "ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किये जाएंगे, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो" और खंड 243ब (क) (दो) में उल्लिखित शब्द कि "कृत्यों का निष्पादन और ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपी जाए" पर्याप्त होंगे और "बारहवीं अनुसूची" की स्पष्ट अनावश्यकता से बचा जाए।

वर्तमान अति केन्द्रीयकृत संघीय ढांचे में, जहां उच्च अधिकारियों की संख्या अधिक है, जब तक संघ सरकार द्वारा राज्यों को अधिक शक्तियां और वित्तीय संसाधन प्रदान नहीं किये जाते हैं तब तक "अंतरण" और "विकेन्द्रीयकरण" की मांग अपरिमित परिमाण में रहेगी।

नई दिल्ली;
4 जुलाई, 1992
13 आषाढ़, 1914 (शक)

एस० विडुतलै विरुम्बी

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

(नीचे रेखांकित या पार्श्व रेखांकित शब्द उन संशोधनों के द्योतक हैं जिनका सुझाव समिति ने दिया है, तारांकित अंश लोपों के द्योतक हैं)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखितरूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के भाग 9 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया आएगा, अर्थात् :— नए भाग 9क का अंतःस्थापन।

"भाग 9क"

नगरपालिकाएं

परिभाषाएं।

243त. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समिति" से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है,

(ख) "जिला" से किसी राज्य का राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ग) "महानगर क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसकी एक या अधिक जिलों में समाविष्ट और दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य सहवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है और जिसको राज्य सरकार द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(घ) "नगरपालिका क्षेत्र" से किसी राज्य की सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ङ) "नगरपालिका" से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(च) "पंचायत" से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है,

(छ) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

नगरपालिकाओं का गठन।

243थ. (1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबन्धों के अनुसार, निम्नलिखित का गठन किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और

(ग) किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम,

(2) इस अनुच्छेद में, "संक्रमणशील क्षेत्र", "लघुतर नगरीय क्षेत्र" या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य की सरकार, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषिइतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी ही अन्य बातों को, जैसा वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

नगरपालिकाओं की संरचना।

243द. (1) खंड 2 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के रूप में ज्ञात होंगे।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) नगरपालिका में,—

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है,

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243थ के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का, प्रतिनिधित्व करने के लिए; उपबंध कर सकेगा :

परन्तु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा;

243थ. (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का, जिनमें एक या अधिक वार्ड हो सकेंगे, गठन किया जाएगा। वार्ड समितियों का गठन और संरचना, आदि।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसका प्रादेशिक क्षेत्र;

(ख) वह रीति जिससे किसी वार्ड समिति के स्थान भरे जाएंगे।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

(4) जहां कोई वार्ड समिति,—

(क) एक वार्ड से मिलकर बनी है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य ; या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनी है वहां उन वार्डों की समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य;

उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित करती है।

243न. (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका स्थानों का आरक्षण।

क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से, जैसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबन्ध करे, आरक्षित किए जाएंगे।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन (स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न) अध्यक्षों के पद का आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से राज्य के विधान-मंडल को निवारित नहीं करेगी।

नगपालिकाओं का कार्यकाल, आदि।

243प. (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, * * * न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(2) नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन,—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा :

परंतु यदि राज्य विधान मंडल इस आशय का कोई संकल्प पारित करता है कि सूखा, बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति या आपात के कारण 'उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचन नहीं कराया जा सकता है तो उक्त निर्वाचन नगरपालिका के विघटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका के निलंबन या विघटन के बारे में उपबन्ध कर सकेगाः

परंतु किसी नगरपालिका के निलम्बित या विघटित किए जाने के पूर्व उसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसी विधि द्वारा गठित किया जाए, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि नगरपालिका के निलंबन से अनुच्छेद 243घ के अधीन गठित समितियों के बने रहने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

243फ. (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,— सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

* * *

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि वह पच्चीस वर्ष की आयु से कम आयु का है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए और ऐसी रीति से, जैसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्धित करे, निर्दिष्ट किया जाएगा।

243ब. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करना, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

243भ. राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां।

(क) नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे कर, शुल्क, पथ-कर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथ-कर और फीसें किसी नगरपालिका को समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिये ऐसे सहायता अनुदानों का उपबन्ध कर सकेगा जैसे विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धन जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने का और उनमें से ऐसे धन को निकालने का भी उपबन्ध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए।

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।

243म (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, यथाशक्य शीघ्र, और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और,—

(क) उन सिद्धांतों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, अर्थात् :—

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण, जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जाएंगे और सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के नगरपालिकाओं के अपने-अपने अंशों का उनके बीच आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं को समनुनिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान,

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) वह सीमा जिस तक राज्य की संचित निधि में नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए, भारत सरकार की सहायता से वृद्धि करना आवश्यक है;

(घ) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं कें ठोस वित्तपोषण के हित से वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा;

राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उन्हें चुना जाएगा, उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकारक ज्ञापन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

243य (1) अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित नगर निगमों के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे जाएंगे जैसे राज्यपाल, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से, विहित करे।

(2) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त नगर निगमों के लेखाओं की, ऐसी रीति से जो वह ठीक समझे, संपरीक्षा करवाएगा और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधान-मंडल के समक्ष और संबंधित नगर निगम के समक्ष रखवाएगा।

नगर निगम के लेखाओं का प्ररूप और ऐसे निगमों के लेखाओं की संपरीक्षा।

243यक इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं*** के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबन्ध कर सकेगा।

नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के बारे में उपबन्ध करने की राज्य विधान-मंडल की शक्तियां।

243यख इस भाग के उपबन्ध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक के प्रति निर्देश हैं और राज्य के विधान-मंडल या संविधान सभा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हैं :

संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।

परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस भाग*** के उपबन्ध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, जैसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू होंगे।

243यग (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड(2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खंड(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए उस दशा में कर सकेगी जब किसी राज्य का विधान-मंडल इस आशय का कोई संकल्प पारित करता है और ऐसी कोई विधि, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

243यघ (1) जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाएगी।

जिला योजना के लिये समिति।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के बारे में उपबन्ध कर सकेगा,—

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे :

परंतु ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम चार बंटा पांच भाग जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) जिला योजना से संबंधित वे कृत्य, जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(ii) उपलब्ध साधनों की सीमा और प्रकार चाहे वह वित्तीय हो या अन्य;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

महानगर योजना के लिए समिति।

243यङ (1) संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के बारे में उपबन्ध कर सकेगा,—

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे :

परंतु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और अपने में से उन क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित वे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(ङ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी,—

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(iii) भारत सरकार और राज्य की सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं,

(iv) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलभ्य साधन, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य,

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

243यच. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित न कर दिया जाए या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान न हो जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा : विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना।

परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, जब तक कि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा, या यदि राज्य की विधान परिषद् है, जो उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय के लिए पारित संकल्प द्वारा पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

243यछ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,— निर्वाचन संबंधी विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन।

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता को, जो अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई है या बनाई गई तात्पर्यित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी नगरपालिका के किसी निर्वाचन को ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित है, प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"।

अनुच्छेद 280 का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) में, उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखंड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय;

बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

4. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"बारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत शहरी योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का सन्निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।

4. सड़कें और पुल।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध।

7. अग्निशमन सेवाएं।

8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि।

9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण।

10. गंदी-बस्ती सुधार और उन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता कम करना।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं तथा सुविधाओं, जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह।

15. कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है।

17. लोक सुख-सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।"।

परिशिष्ट एक
[प्रतिवेदन का पैरा 1.2 देखिए]

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि भारत के संविधान को आगे और संशोधन करने के लिए विधेयक अर्थात संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 9 क को अंत:स्थापित करना तथा बारहवीं अनुसूची को जोड़ना) को दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 20 सदस्य इस सदन के हों, अर्थात :—

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री चित्त बसु
3. श्री गिरधारी लाल भार्गव
4. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य
5. श्री प्रबीन डेका
6. श्री के॰पी॰ सिंह देव
7. प्रो॰ अशोक राव आनंद राव देशमुख
8. श्री दाऊ दयाल जोशी
9. श्री शंकरराव डी॰ काले
10. श्री ताराचंद खंडेलवाल
11. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
12. श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. श्री सूरज मंडल
14. श्री येल्लैया नंदी
15. डा॰ देवी प्रसाद पाल
16. श्री हरि केवल प्रसाद
17. श्री इब्राहिम सुलेमान सेट
18. कुमारी शैलजा
19. श्री हरि किशोर सिंह
20. श्री पी॰ सी॰ थामस

और 10 सदस्य राज्य सभा से;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति लोक सभा के बजट सत्र 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय बनाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.3)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा यह संकल्प करती है कि निम्नलिखित सदस्य उक्त संयुक्त समिति में नामनिर्देशित किए जाएं:—

1. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
2. श्री के०एन० सिंह
3. श्री एस०के०टी० रामचन्द्रन
4. श्री संतोष कुमार साहू
5. श्री राधाकिशन मालवीय
6. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री एन०ई० बलराम
9. श्रीमती विजय चक्रवर्ती
10. श्री एस० विडुतलै विरुम्बी

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.8)

संघों, संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची, जिनकी ओर से संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

1. अखिल भारतीय मेयर परिषद, दिल्ली
2. राधास्वामी सत्संग सभा, आगरा
3. सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन
4. पश्चिम बंगाल सरकार (नगर कार्यों संबंधी विभाग)
5. निदेशक, नगर प्रशासन, उड़ीसा सरकार
6. इंडियन एक्स सर्विसेज लीग (पंजाब और हरियाणा) जिला अमृतसर
7. श्री येल्लैया नन्दी, संसद सदस्य
8. डा० कृष्ण चन्द शुक्ला, इन्दौर
9. तरुण भारत शैक्षिक और सामाजिक कल्याण समिति (पंजी०) सदर बाजार, दिल्ली
10. आवास कल्याण संघ, रेवाड़ी
11. मेघालय सरकार (शहरी कार्यों संबंधी विभाग)
12. श्री आनन्द प्रकाश सिंघल, कानून के प्राध्यापक, मेरठ कालेज, मेरठ (उ०प्र०)
13. श्री आर०के० बालासुब्रह्मण्यम, मइलोपुर, मद्रास
14. डा० एस०आर० सरकार, कलकत्ता
15. श्री एन०एस० प्रधान, कुफ्फ पैरेड, बम्बई
16. श्री राम प्रसाद शर्मा, कठुआ
17. श्री जी०एम० पाटिल, नन्ददीप, पुणे
18. रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा
19. श्री प्रथा कुमार चटर्जी, बीरनगर नगरपालिका, बीरनगर
20. बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ, कलकत्ता
21. श्री बाबूराम वर्मा, वाइस प्रेसीडेंट, जिला परिषद, मेरठ
22. श्री वी०जे० हाइसिंथ, पार्षद, कोचीन निगम
23. चौधरी सत्य प्रकाश, मेयर, नगर निगम, लुधियाना
24. कृषि विपणन प्रबंधन और प्रशासन संस्थान
25. प्रो० नरसिंहदास वनकर
26. श्री ए०एस० भटगेरी, शोलापुर, महाराष्ट्र
27. श्री नन्द किशोर कुमार, मुंगेर, बिहार
28. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
29. राष्ट्रीय शहरी कार्यों संबंधी संस्थान, नई दिल्ली
30. उजीरे वर्धक संघ, उजीरे
31. वरिष्ठ नागरिक विचार मंच, इंदौर
32. राजस्थान किराएदार संघ, जयपुर
33. जासुरा ट्रबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
34. श्री एम० के० जी० पिल्लई, रंगनिहांग, असम
35. रेल मंत्रालय, भारत सरकार
36. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) भारत सरकार

37. श्री आर॰एन॰ महापात्र, भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, भुवनेश्वर
38. श्री गुलाम रसूल मट्टू, संसद सदस्य
39. मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰, जमशेदपुर
40. बंम्बई पर्यावरण कार्यवाही दल।

परिशिष्ट चार

(देखिए रिपोर्ट का पैरा 1.8)

संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को प्रश्नावली प्राप्त हुई

1. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
2. नगर और गांव योजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय
3. दमन नगर परिषद, दमन
4. क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केन्द्र
5. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बम्बई
6. दी मद्रास बार एसोसिएशन, मद्रास
7. दी बार कौंसिल आफ तमिलनाडु
8. प्रशासक, दमन और दीव
9. नगर प्रशासन विभाग, असम सरकार
10. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, नई दिल्ली
11. अखिल भारतीय मेयर परिषद, दिल्ली
12. गुजरात नगरपालिका परिषद, आनन्द
13. क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद
14. शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
15. श्री गुलवर्ट जे॰ नजारथ, नाडियाड़ नगरपालिका
16. दी मद्रास बार एसोसिएशन
17. श्री अनिल, एच॰ जोशी, भुज नगरपालिका
18. मणिपुर सरकार
19. आनन्द नगरपालिका, गुजरात
20. श्री के॰ एल॰ धान्धा, जेतपुर नगरपालिका
21. गुलबर्गा नगर निगम
22. विकास विभाग (एल॰ए॰), पाण्डिचेरी सरकार
23. नगर निगम कार्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश
24. श्री राजकुमार अग्रवाल, बरेली नगर निगम (उ॰प्र॰)
25. नगरपालिका निगम कार्यालय, इन्दौर, (म॰प॰)
26. दी बार कौंसिल आफ महाराष्ट्र एंड गोवा
27. श्री के॰ सी॰ शिवरामकृष्णन, वाइस प्रेसीडेंट, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली
28. मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, पणजी, गोवा
29. श्री के॰ नारायण स्वामी, अखिल भारतीय मेयर परिषद
30. दरभंगा नगर निगम
31. श्री रमेश सिंघल, नगर पालिका, अम्बाला शहर
32. श्री गंगाधर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर (बिहार)
33. श्री एस॰ के॰ देव, सिल्चर नगरपालिका, असम
34. श्री पी॰ सम्बाशिवन आचारी, केरल सरकार
35. श्री आदर्श कुमार, नगर निगम, शिमला
36. श्री पी॰ एल॰ पुनिया, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

परिशिष्ट पांच

(देखिए रिपोर्ट का पैरा 1.9)

संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची

1. प्रो॰ अभिजीत दत्ता,
   भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2. श्री के॰ नारायणस्वामी, चेयरमैन
   अखिल भारतीय मेयर परिषद, नई दिल्ली
3. श्री डी॰एस॰ मेशराम,
   मुख्य नगर आयोजक,
   नगर और गांव योजना संगठन,
   नई दिल्ली
4. श्री के॰सी॰ शिवरामकृष्णन,
   वाइस प्रेसीडेंट,
   राष्ट्रीय शहरी कार्यों संबंधी संस्थान,
   नई दिल्ली
5. डा॰ वाई॰ पी॰ आनन्द,
   चेयरमैन (रेल बोर्ड)
   रेल मंत्रालय
6. श्री के॰ए॰ नाम्बियार,
   अपर सचिव,
   रक्षा मंत्रालय
7. श्री विजय कुमार मल्होत्रा,
   पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली
8. श्री आर॰एन॰ महापात्र, पूर्व सदस्य,
   केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड,
   (भुवनेश्वर)
9. श्री जगप्रवेश चन्द्र,
   दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद
10. श्री एम॰एन॰ बुच,
    चेयरमैन, राष्ट्रीय मानव बस्ती और पर्यावरण केन्द्र,
    भोपाल।

4. समिति ने जनता/विशेषज्ञों/निकायों से प्राप्त उत्तरों को देखने के पश्चात् अप्रैल के पहले सप्ताह में किसी समय साक्ष्य लेने का निर्णय किया।

5. समिति ने सभापति को देश के विभिन्न भागों में तत्स्थानिक अध्ययन दौरों के उद्देश्य हेतु लोक सभा के चालू सत्र की समाप्ति पर पांच अध्ययन दलों का गठन करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 23 मार्च, 1992 को पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 23 मार्च, 1992 को 17.00 बजे से 18.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री॰ के॰पी॰ सिंह देव — सभापति

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री प्रबीन डेका
5. श्री शंकरराव दे॰काले
6. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
7. श्रीमती सुमित्रा महाजन
8. श्री येल्लैया नंदी

राज्य सभा

9. श्री एन॰ ई॰ बलराम
10. श्री राधाकिशन मालवीय
11. श्री एस॰ विडुतलै विरूम्बी

सचिवालय

श्री एस॰सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर॰के॰ चटर्जी — उप सचिव
श्री राम कुमार — सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के. धर्मराजन्—संयुक्त सचिव

श्री आर.पी.एस. पवार—निदेशक (एल.एस.जी.)

श्री के.बी. रजोरिया—मुख्य अभियन्ता (प्रशिक्षण)

श्री सुन्दर जेथवानी—कार्यकारी अभियन्ता (प्रशिक्षण) के.लो.नि.वि.

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰एस॰ सलूजा—संयुक्त सचिव एवं वैधानिक परामर्शदाता

श्री के॰एन॰ चतुर्वेदी—उप वैधानिक परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों, नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों, और राज्य सरकारों से भी ज्ञापन तथा प्रश्नावली के उत्तर इस सचिवालय को प्राप्त हो रहे हैं। यह सब सचिवालय तथा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से संभव हुआ है। मेयर के अखिल भारतीय परिषद् ने भी कतिपय सुझाव दिए हैं। संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् समिति सहमत हुई कि ज्ञापन, प्रश्नावली इत्यादि के उत्तर 31 मार्च, 1992 तक स्वीकृत किए जाएं जो कि अंतिम तिथि होगी।

3. सभापति ने यह भी सूचित किया कि विधि आयोग द्वारा बताई गई सुनिश्चित तिथि के पश्चात् विधि आयोग के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की व्यवस्था की जाएगी।

4. समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापन इत्यादि पर विचार-विमर्श के संबंध में सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि विधेयक पर खण्डवार विचार सुगम बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विश्लेषण और अंतिम तिथि प्राप्त होने के पश्चात् ही विषय की अनुरूपता में चर्चा करना ठीक होगा। इसी बीच समिति ने साक्षियों का मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय किया।

5. प्रारंभ में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मेयरों की अखिल भारतीय परिषद् और नगर और ग्राम आयोजना संगठन के प्रतिनिधियों का 31.3.1992 को साक्ष्य लेने की सहमति हुई।

6. कुछ सदस्यों ने छावनी के सिविल क्षेत्रों के लोगों की परेशानियों को बताया और उनकी मौलिक परेशानियों के निवारण हेतु पृथक नगरपालिका बनाने का अनुरोध किया। सभापति ने पाया कि मामले पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों, रक्षा भूसम्पत्ति के महासचिव से चर्चा की जा सकती है। इस संबंध में सभापति ने रेल मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन का भी उल्लेख किया। तथापि पत्तन न्यास और डाक सेवाओं ने उत्तर नहीं दिया है।

7. सभापति ने आगे पाया कि संसद के चालू सत्र के समाप्त होने के पश्चात् ही बाहर दौरा किया जा सकता है। उन्होंने सदस्यों को इससे भी अवगत कराया कि सदस्यों के उपयोग के लिए उनके कमरा सं॰ 110-बी, संसद भवन में कुछ संदर्भ सामग्री रखी गई है।

समिति की बैठक 31 मार्च, 1992 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

छठी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 31 मार्च, 1992 को 1500 बजे से 1800 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के० पी० सिंह देव — सभापति

सदस्य लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री गिरधारी लाल भार्गव
5. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य
6. श्री प्रबीन डेका
7. श्री दाऊ दयाल जोशी
8. श्री शंकरराव दे० काले
9. श्रीमती सुमित्रा महाजन
10. श्री सूरज मंडल
11. डा० देवी प्रसाद पाल
12. श्री हरि किशोर सिंह
13. श्री पी० सी० थामस

राज्य सभा

14. श्री एन० ई० बलराम
15. श्री राधाकिशन मालवीय
16. श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन
17. श्री विडुतलै विरूम्बी

सचिवालय

श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
श्री राम कुमार — सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री आर० वी० पिल्लै—अपर सचिव

श्री आर० पी० एस० पवार—निदेशक (एल० एस० जी०)

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी० एस० सलूजा—संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
श्री के० एन० चतुर्वेदी—उप विधायी सलाहकार।

2. समिति ने निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लिया:

(एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
प्रो० अभीजीत दत्ता

(दो) अखिल भारतीय मेयर सभा, नई दिल्ली

श्री के० नारायणस्वामी—चैयरमैन

(तीन) नगर और ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली

श्री डी० एस० मेशराम, मुख्य आयोजक

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

3. समिति ने निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु अपनी अगली बैठक बुधवार 8 अप्रैल, 1992 को करने का निर्णय लिया।

(एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली

श्री के० सी० शिवरामकृष्णन—उपाध्यक्ष

(दो) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि

(तीन) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सातवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 8 अप्रैल, 1992 को 15.00 बजे से 18.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के० पी० सिंह देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री गिरधारी लाल भार्गव
5. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
6. श्री प्रबीन डेका
7. श्री शंकरराव दे० काले
8. श्री येल्लैया नैंदी
9. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल
10. कुमारी शैलजा

राज्य सभा

11. श्री राधाकिशन मालवीय
12. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
13. श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन
14. श्री सन्तोष कुमार साहू
15. श्री एस० विडुतलै विरूम्बी

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता—संयुक्त सचिव

श्री आर० के० चटर्जी—उप सचिव

श्री राम कुमार—सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के० धर्मराजन—संयुक्त सचिव

श्री पी० पी० एस० पवार—निदेशक (एल० एस० जी०)

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी० एस० सलूजा—संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

श्री के० एन० चतुर्वेदी—उप विधायी सलाहकार।

2. समिति ने निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लिया:

(एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली

श्री के० सी० शिवरामकृष्णन—उपाध्यक्ष

(दो) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

डा॰ योगेन्द्र पाल आनन्द—चैयरमैन

(तीन) रक्षा मंत्रालय

श्री ए॰ के॰ नाम्बीर—अपर सचिव

श्री पी॰ के॰ कुमारन—महानिदेशक रक्षा सम्पदा

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

3. समिति ने निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु अपनी अगली बैठक बुधवार 22 अप्रैल, 1992 को करने का निर्णय लिया।

(एक) दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद

1. श्री विजय कुमार मल्होत्रा
2. श्री केदार नाथ साहनी
3. श्री जगप्रवेश चन्द्र

(दो) केन्द्रीय सामाजिक रक्षा सलाहकार बोर्ड, भुवनेश्वर

श्री आर॰ एन॰ महापात्र—भूतपूर्व सदस्य

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 22 अप्रैल, 1992 को 15.00 बजे से 17.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के॰ पी॰ सिंह देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री गिरधारी लाल भार्गव
4. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य
5. श्री प्रबीन डेका
6. श्री दाऊ दयाल जोशी
7. श्री शंकरराव दे॰ काले
8. श्रीमती सुमित्रा महाजन
9. श्री हरि किशोर सिंह

राज्य सभा

10. श्री एन॰ ई॰ बलराम
11. श्री राधाकिशन मालवीय
12. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
13. श्री एस॰ के॰ टी॰ रामचन्द्रन
14. श्री के॰ एन॰ सिंह
15. श्री एस॰ विडुतलै विरूम्भी

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
3. श्री राम कुमार — सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के॰ धर्मराजन—संयुक्त सचिव

श्री आर॰ पी॰ एस॰ पवार—निदेशक (एल॰ एस॰ जी॰)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰एस॰ सलूजा — संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

श्री के॰एन॰ चतुर्वेदी — उप विधायी सलाहकार।

2. समिति ने निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लिया:

(एक) दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद
श्री विजय कुमार मल्होत्रा

(दो) सामाजिक सुरक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

श्री आर.एन. मोहपात्र, भूतपूर्व सदस्य

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

3. साक्षी के जाने के पश्चात् सभापति ने सदस्यों को बताया कि समिति स्वयं को तीन उप समितियों में विभाजित करके विभिन्न राज्यों का दौरा करेगी जिसमें राज्य सरकारों तथा नगर पालिकाओं, निगमों, परिषदों, छावनी बोर्डों और पत्तन न्यास आदि जैसे शहर में स्थानीय निकायों का साक्ष्य लेगी। प्रत्येक उप समिति 25 मई से 3 जून, 1992 की 8-9 दिनों की अवधि के दौरान 4-5 अथवा इससे अधिक राज्यों का दौरा कर सकती है। इस प्रयोजन हेतु सदस्यों को अपना विकल्प बताने हेतु एक अनन्तिम दौरा कार्यक्रम परिचालित किया जाएगा।

4. उन्होंने आगे यह बताया कि संविधान 72वां तथा 73वां संशोधन विधेयकों संबंधी संयुक्त समितियों की एक संयुक्त बैठक 28 अप्रैल, 1992 को होगी जिसमें दोनों विधेयकों के सामान्य उपबंधों पर चर्चा की जाएगी। सभापति ने शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों को अब तक हुए कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करने तथा विधेयक के प्रत्येक खंड पर विभिन्न साक्षियों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग-अलग छांटकर रखने का निदेश दिया।

5. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 6 मई, 1992 को निम्नलिखित का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु समिति की बैठक होगी:—

श्री जग प्रवेश चन्द्र	दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद
श्री चार्ल्स एम० कोरिया	भूतपूर्व-चेयरमैन, नेशनल काउंसिल आन अरबनाइजेशन, बम्बई।
श्री एम०एन० बुच	चेयरमैन, नेशनल सैंटर फार ह्युमैन सैटलमैंट एण्ड एनवायरनमैंट, भोपाल।

6. तत्पश्चात् सभापति ने विधेयक के विभिन्न चरणों की जांच करने के विभिन्न कार्यों को पूरा करने संबंधी निम्नलिखित अनन्तिम कार्यक्रम की घोषणा की:—

उपसमितियों द्वारा दौरा	25.5.92 से 3.6.1992
सदस्यों/सरकार से विधेयक पर संशोधनों संबंधी सूचनाएं	11.6.1992
विधेयक पर खण्डवार चर्चा	17.6.92 से 19.6.92
प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना	7.7.1992

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

नौवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 6 मई, 1992 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के॰ पी॰ सिंह देव — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री गिरधारी लाल भार्गव
5. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य
6. श्री प्रबीन डेका
7. श्री दाऊ दयाल जोशी
8. श्री शंकरराव दे॰ काले
9. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
10. श्रीमती सुमित्रा महाजन
11. डा॰ देवी प्रसाद पाल
12. कुमारी शैलजा
13. श्री हरि किशोर सिंह

राज्य सभा

14. श्री राधाकिशन मालवीय
15. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
16. श्री एस॰ के॰ टी॰ रामचन्द्रन
17. श्री के॰ एन॰ सिंह

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — **संयुक्त सचिव**

श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**

श्री राम कुमार — **सहायक निदेशक**

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के॰ धर्मराजन — **संयुक्त सचिव।**

2. समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया:

(एक) **दिल्ली के भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद**

श्री जगप्रवेश चन्द्र

(दो) **राष्ट्रीय मानव पुनर्वास तथा पर्यावरण केन्द्र, भोपाल**

श्री एम॰ एन॰ बुच — सभापति

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति 11 मई, 1992 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 17 जून, 1992 को 10.30 बजे से 13.30 बजे तक और पुनः 14.40 बजे से 17.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के॰ पी॰ सिंह देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री गिरधारी लाल भार्गव
5. श्री प्रबीन डेका
6. श्री दाऊ दयाल जोशी
7. श्री शंकरराव दे॰ काले
8. श्री ताराचन्द खंडेलवाल
9. श्रीमती सुमित्रा महाजन
10. श्री येल्लैया नंदी
11. श्री हरि केवल प्रसाद
12. श्री हरि किशोर सिंह

राज्य सभा

13. श्री राधाकिशन मालवीय
14. श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर
15. श्री गुलाम रसूल मट्टू
16. श्री एस॰ के॰ टी॰ रामचन्द्रन
17. श्री के॰ एन॰ सिंह

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
श्री राम कुमार — सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के॰ धर्मराजन — संयुक्त सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰ एस॰ सलूजा—संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार

2. समिति ने विधेयक में विभिन्न संशोधनों के लिए सदस्यों द्वारा दिए गये नोटिसों पर आम चर्चा की।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया।

अनुच्छेद 243 त

4. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआः
पृ॰1, पंक्तियां 16-17, का लोप करें "(किसी भी नाम से पुकारे जाने वाला)"

अनुच्छेद 243 थ

5. अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया।

अनुच्छेद 243 द

6. समिति ने महसूस किया कि इस अनुच्छेद कि भाषा अनुच्छेद 243 ध की तरह ही होनी चाहिए और किसी नगरपालिका में विभिन्न लोगों के प्रतिनिधित्व को एक ही खंड में शामिल किया जाना चाहिए। विधायी परामर्शदाता को तदनुसार अनुच्छेद का प्रारूप पुनः तैयार करने के लिए कहा गया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक 14.40 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। समिति प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में विधेयक पर खंडवार आगे विचार करने के लिए पुनः समवेत हुई।

8. समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में अनुच्छेद 243ध, 243न, 243प, 243फ, 243ब, बारहवीं अनुसूची और परिशिष्ट के अनुच्छेद 243ड॰ पर विचार-विमर्श किया। इस संदर्भ में समिति ने टिप्पणी की कि उसके विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए विधेयक के विभिन्न उपबंधों का पुनः प्रारूपण किया जाना चाहिए। समिति ने सदस्यों के विभिन्न संशोधनों की जांच करने के लिए विधायी परामर्शदाता को निर्देश भी दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से संशोधन असंगत हैं।

तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार 18 जून, 1992 को 10.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 18 जून, 1992 को 10.30 बजे से 13.30 बजे तक और पुनः 14.35 बजे से 18.55 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के० पी० सिंह देव — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य
5. श्री प्रबीन डेका
6. श्री दाऊदयाल जोशी
7. श्री शंकरराव दे० काले
8. श्री ताराचन्द खंडेलवाल
9. श्रीमती सुमित्रा महाजन
10. श्री येल्लैया नंदी
11. डा० देवी प्रसाद पाल
12. श्री हरि केवल प्रसाद
13. कुमारी शैलजा
14. श्री हरि किशोर सिंह
15. श्री पी० सी० थामस

राज्य सभा

16. श्री एन० ई० बलराम
17. श्री राधाकिशन मालवीय
18. श्री गुलाम रसूल मट्टू
19. श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन
20. श्री के० एन० सिंह

सचिवालय

श्री एस०सी० गुप्ता — **संयुक्त सचिव**
श्री आर० के० चटर्जी — **उप सचिव**
श्री राम कुमार — **सहायक निदेशक**

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के० धर्मराजन — **संयुक्त सचिव**
डा० (श्रीमती) किरण चड्ढा — **उप सचिव (एल० एस० जी०)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी॰ एस॰ सलूजा — **संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार**

2. समिति ने सदस्यों द्वारा विशेषतः उनके द्वारा संशोधनों के लिये दी गई सूचना के संदर्भ में विधेयक में अन्तर्विष्ट अनेक अनुच्छेदों (जिनमें उनके परिशिष्ट में अन्तर्विष्ट अनुच्छेद भी शामिल हैं) पर आगे चर्चा आरंभ की और विधेयक में शामिल किये जाने वाले संशोधनों पर आम सहमति तैयार की। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि जैसा कि समिति द्वारा दर्शाया गया है, आम सहमति को शामिल करते हुए विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार किया जाये। विधायी परामर्शदाता को समिति की अगली बैठक में उसके विचारार्थ संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक दोपहर के भोजन के लिये स्थगित हुई और 14.35 बजे पुनः समवेत हुई।

4. तत्पश्चात् समिति ने स्थानीय शहरी निकायों में संशोधनों में वृद्धि करने से संबंधित मामलों पर विस्तार से विचार किया और यह निर्णय लिया कि विधेयक का पुनः प्रारूप तैयार करते समय सदस्यों द्वारा दिये गये विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। समिति ने जिला आयोजना संगठनों पर भी चर्चा की और प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों वाली एक आयोजना समिति गठित करने की स्वीकृति प्रदान की।

तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 19 जून, 1992 को 16.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 19 जून, 1992 को 16.00 बजे से 20.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के० पी० सिंह देव —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री चित्त बसु
4. श्री प्रबीन डेका
5. प्रो० अशोकराव आनंदराव देशमुख
6. श्री दाऊ दयाल जोशी
7. श्री शंकरराव दे० काले
8. श्री ताराचंद खंडेलवाल
9. श्री सूरज मंडल
10. श्री येल्लैया नंदी
11. श्री हरि केवल प्रसाद
12. कुमारी शैलजा
13. श्री हरि किशोर सिंह

राज्य सभा

14. श्री एन० ई० बलराम
15. श्री राधाकिशन मालवीय
16. श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर
17. श्री गुलाम रसूल मट्टू
18. श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन
19. श्री के० एन० सिंह
20. श्री एस० विडुतलै विरुम्बी

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता —संयुक्त सचिव

श्री आर० के० चटर्जी —उप सचिव

श्री राम कुमार —सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के० धर्मराजन् —संयुक्त सचिव (यू० डी०)

डा० (श्रीमती) किरण चड्ढा—उप सचिव (एल० एस० जी०)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री बी० एस० सलूजा —संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार किया।

अनुच्छेद 243त

3. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया—

पृष्ठ 2 पंक्ति 1—7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ख) "महानगर क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसकी एक या अधिक जिलों में समाविष्ट और दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य सहवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर जनसंख्या बीस लाख या उससे अधिक है और जिसको राज्य सरकार द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) "नगरपालिका क्षेत्र" से किसी राज्य को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "नगरपालिका" से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ङ) "पंचायत" से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(च) "जनसंख्या" से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।"

अनुच्छेद 243त, यथासंशोधित, रूप में स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 243द

पृष्ठ—2 पंक्ति 8—41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"243द. (1) खंड—2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन—क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के रूप में ज्ञात होंगे।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा:—

(क) नगरपालिका में,—

(I) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(II) लोक सभा के ऐसे सदस्यों और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है;

(III) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(IV) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का, प्रतिनिधित्व करने के लिए; उपबंध कर सकेगा

परन्तु पैरा (I) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा;"

अनुच्छेद 243 द, यथासंशोधित, रूप में स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 243थ

5. पृष्ठ—2, पंक्ति 42—48 और पृष्ठ—3 पंक्ति 1—4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"243थ. (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का, जिनमें एक या अधिक वार्ड हो सकेंगे, गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसका प्रादेशिक क्षेत्र;

(ख) वह रीति जिससे किसी वार्ड समिति के स्थान भरे जाएंगे।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

(4) जहां कोई वार्ड समिति—

(क) एक वार्ड से मिलकर बनी है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनी है वहां उन वार्डों की समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य;

उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है।"

अनुच्छेद 243थ, यथासंशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 243न

6. समिति ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 243ङ [खण्ड (4) के प्रावधानों को छोड़कर, 243ड़ (3) को छोड़कर], 243च, 243ज, 243झ, 243ट, 243ठ, और 243थ के प्रावधानों को जो पंचायतों से संबंधित हैं, नगरपालिकाओं में अनुप्रयोग हेतु विधेयक में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ पूर्ण रूप से पुनरुद्धत किया जाएगा।

निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार किया गया था:—

पृष्ठ 3, पंक्तियां 3—6 का लोप करें

अनुच्छेद 243न का लोप किया गया।

अनुच्छेद 243 प

7. भाग नौ के अनुच्छेद 243प में संशोधन किया गया और निम्न रूप में स्वीकार किया गया:—

"243 न (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से, यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा नगरपालिका क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) रपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से, जैसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उपबन्ध करे, आरक्षित किए जाएंगे।

(5) (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन (महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न) अध्यक्षों के पद का आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से राज्य के विधान मंडल को निवारित नहीं करेगी।"

अनुच्छेद 243 (ङ)

8. भाग नौ के अनुच्छेद 243 (ङ) को संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया, जो इस प्रकार है:—

"**243 प** (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(2) नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा:

परन्तु यदि राज्य विधान मंडल इस आशय का कोई संकल्प पारित करता है कि सूखा, बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति या आपात के कारण खंड (2) के उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचन नहीं कराया जा सकता है तो उक्त निर्वाचन नगरपालिका के विघटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका के निलंबन या विघटन के बारे में उपबन्ध कर सकेगा:

परन्तु किसी नगरपालिका के निलम्बित या विघटित किए जाने के पूर्व उसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसी विधि द्वारा गठित किया जाए, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि नगरपालिका के निलंबन से अनुच्छेद 243 म के अधीन गठित समितियों के बने रहने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

अनुच्छेद 243ज

9. भाग-चार के अनुच्छेद 243च को परिवर्तनों सहित स्वीकार किया गया जो इस प्रकार है:

"243फ (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिये निर्रहित होगा—

******

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्रहित कर दिया जाता है:

परन्तु कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर निर्रहित नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष की आयु से कम आयु का है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्रहित कर दिया जाता है;

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए और ऐसी रीति से, जैसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 243फ

10. अनुच्छेद 243फ को 243ब के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया और बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 243 ज

11. भाग नौ के अनुच्छेद 243ज को मामूली परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया जो इस प्रकार है:

"243भ. राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा—

(क) नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे कर, शुल्क पथ कर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें किसी नगरपालिका को समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदानों का उपबंध कर सकेगा जैसे विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धन जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने का और उनमें से ऐसे धन को निकालने का भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए।"

अनुच्छेद 243 झ

12. भाग नौ के अनुच्छेद 243 झ को परिवर्तनों सहित स्वीकार किया गया जो इस प्रकार है:—

"243 म(1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, यथाशक्य शीघ्र, और उसके पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और—

(क) उन सिद्धांतों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, अर्थात्—

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण, जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जायेंगे और सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के नगरपालिकाओं के अपने अपने अंशों का उनके बीच आवंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिये सहायता अनुदान।

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) वह सीमा जिस तक राज्य की संचित निधि में नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए, भारत सरकार की सहायता से वृद्धि करना आवश्यक है;

(घ) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं के ठोस वित्तपोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा;

(2) राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उन्हें चुना जाएगा, उपबन्ध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।"

अनुच्छेद 243प

13. अनुच्छेद 243प को 243य के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया और बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 243(ट)

14. भाग नौ के अनुच्छेद 243(ट) को संशोधित किया गया तथा उसे स्वीकृत किया गया जो इस प्रकार है:—

"243 यक. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबंध कर सकेगा।

अनुच्छेद 243 (ठ)

15. भाग नौ के अनुच्छेद 243ठ को संशोधित किया गया तथा उसे स्वीकृत किया गया जो कि इस प्रकार है:—

"243 यख. इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश है और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश है:

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जैसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू होंगे।"

अनुच्छेद 243ण.

16. पृष्ठ 3 की पंक्ति 35 से 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"243 यग (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (2) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए उस दशा में कर सकेगी जब किसी राज्य का विधान मंडल इस आशय का कोई संकल्प पारित करता है और ऐसी कोई विधि, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

17. समिति ने यह महसूस किया कि प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर, पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा समग्र रूप से तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने की दृष्टि से एक जिला आयोजना समिति का गठन करने का प्रावधान होना चाहिए। अतः, समिति ने एक नए अनुच्छेद को अंतःस्थापित करने का निर्णय किया, जो कि इस प्रकार है:—

"243 यच. (1) जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाएगी।

(2) राज्य का विधान मंडल; विधि द्वारा, निम्नलिखित के बारे में उपबंध कर सकेगा:—

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे;

परन्तु ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम चार बटा पांच भाग जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, और अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) जिला योजना से संबंधित कार्य जो ऐसी समितियों को सौंपे जा सकते हैं;

(घ) इस प्रकार की समितियों में सभापतियों के चुने जाने की विधि।

(3) जिला योजना समिति प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित:—

(क) पर ध्यान देगी—

(एक) पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच स्थानिक आयोजना, पानी और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे आधारभूत ढांचे का समन्वित विकास और पर्यावरणीय संरक्षण सहित साझे हितों के मामले;

(दो) कितनी मात्रा में और किस तरह के चाहे वित्तीय हों अथवा अन्य-संसाधन उपलब्ध हैं।

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करना जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) जिला आयोजना समिति का सभापति ऐसी समिति द्वारा यथासंस्तुत विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा"।

18. समिति ने महसूस किया है कि महानगरीय क्षेत्र के लिए समग्रतः एक प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए एक महानगरीय आयोजना समिति का भी संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु, समिति ने विधेयक में निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल करने का अनुमोदन किया:—

"243यज (1) प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की समग्र प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए एक महानगरीय आयोजना समिति गठित की जाएगी।

(2) किसी राज्य का विधान मंडल, विधि के द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान करे:—

(क) महानगरीय आयोजना समितियों का गठन;

(ख) जिस विधि से ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे;
बशर्ते कि ऐसी समितियों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्र में पंचायतों के सभापतियों के द्वारा और उनमें से उस क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार चुने जाएंगे;

(ग) ऐसी समिति को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए ऐसी समिति में भारत सरकार और राज्य सरकार तथा ऐसे संगठनों और संस्थानों का यथापेक्षित प्रतिनिधित्व है;

(घ) महानगरीय क्षेत्र के लिए आयोजना और समन्वय संबंधी कृत्य जो ऐसी समितियों को सौंपे जाएं;

(ङ) जिस विधि से ऐसी समितियों के सभापति चुने जाएंगे।

(3) महानगरीय आयोजना समितियां प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित के संबंध में—

(क) ध्यान देगी—

(एक) महानगरीय क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;

(दो) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच क्षेत्र की समन्वित स्थानीक आयोजना, पानी और भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे; आधारभूत ढांचे के समन्वित विकास और पर्यावरणीय संरक्षण सहित साझे हितों के मामले;

(तीन) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए समग्र लक्ष्य और प्राथमिकताएं।

(चार) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य है तथा अन्य उपलब्ध साधन, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य,

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।''

अनुच्छेद 243ड

19. भाग नौ के अनुच्छेद ढ को मामूली परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया जो इस प्रकार है:—

''243 यच. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित कर दिया जाए या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान न हो जाए, इनमें से जो पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा:

परन्तु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, जब तक कि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा, या यदि राज्य की विधान परिषद् है, तो उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय के लिए पारित संकल्प द्वारा पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी।''

अनुच्छेद 243ण

20. भाग नौ के अनुच्छेद 243ण को अनुच्छेद 243ट के स्थान पर अनुच्छेद यक का संदर्भ दर्शाने के लिए परिवर्तन के साथ स्वीकार किया, जो इस प्रकार है:—

''243यछ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता को, जो अनुच्छेद 24 यक के अधीन बनाई गई है या बनाई गई तात्पर्यित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा,

(ख) किसी नगरपालिका के किसी निर्वाचन को ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित है, प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।''

एक नये खण्ड 3 को अंत:स्थापित करना।

21. विधेयक के खण्ड 3 को खण्ड 4 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड 4 के पूर्व निम्नलिखित खण्ड 3 अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

''3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) में, उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखंड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा,'' अर्थात्:-

''(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय,।''

बारहवीं अनुसूची

22. पृष्ठ 4, पंक्ति-24 के लिए प्रतिस्थापित करें-

''4 संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी,'' अर्थात:-

''बारहवीं अनुसूची''

(अनुच्छेद 243 ब)

1. नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत शहरी योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का सन्निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।

4. सड़कें और पुल।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।

7. अग्निशमन सेवाएं।

8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि।

9. समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण।

10. गंदी-बस्ती सुधार और उन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता कम करना।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह।

15. कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

16. जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण शामिल है।

17. लोक सुख-सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

23. खंड-1

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गयाः—

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1991" के स्थान पर "1992" प्रतिस्थापित करें।

खंड-1 यथासंशोधित स्वीकार किया गया।

24. **विनियमन सूत्र**

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गयाः—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "बयालीस" के स्थान पर "तैंतालीस" प्रतिस्थापित करें। विनियमन सूत्र यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

25. पूरे नाम को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

26. सदस्यों से प्राप्त संशोधनों पर समिति ने विचार किया था परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया अथवा सदस्यों द्वारा वापस ले लिए गए, वे संशोधन अनुबंध दिए गए हैं।

27. समिति ने विधायी परामर्शदाता को स्पष्ट रूप से त्रुटियों को सुधारने और विधेयक में मौखिक तथा पारिणामिक स्वरूप के संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 3 जुलाई, 1992 को 16.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध

(कार्यवाही सारांश का पैरा 26 देखें)

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त उन संशोधनों की सूची जिन पर विचार किया गया तथा समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया अथवा सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया।

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ	अनुच्छेद
1	2	3
1.	**श्री पवन कुमार बंसल** पृष्ठ 2 पंक्ति 1 का लोप करें "किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए"	243थ
2.	**श्री गुलाम रसूल मट्टू** पृष्ठ-2 पंक्ति-19 "आर्थिक महत्व" के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये "अथवा राज्य की कोई अन्य विशेषता"	243थ
3.	**श्री पवन कुमार बंसल** पृष्ठ 2 पंक्ति 20 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें "बशर्ते कोई भी क्षेत्र 'एक बड़ा शहरी क्षेत्र' माना जाये जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो।"	243थ
4.	**श्री पवन कुमार बंसल** पृष्ठ 2-3 पंक्ति 21—41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें "243 द इस भाग के प्रावधानों के अध्यधीन किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा नगरपालिका के गठन के लिए प्रावधान कर सकेगा तथा इस प्रकार के कानून में निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान अंतर्विष्ट होंगे:— (एक) वार्डों के रूप में जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव; (दो) नगरपालिका क्षेत्र का वार्डों में विभाजन; (तीन) नगरपालिका में प्रतिनिधित्व— (क) अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समितियों के सभापति; (ख) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति; (ग) संबद्ध सदस्य, राज्य विधान के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका अथवा उसका कोई भाग स्थित है; बशर्ते (ख) के अधीन सदस्यता प्राप्त व्यक्तियों को नगरपालिकाओं की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं हो; और (चार) विधि, जिसके अनुसार नगरपालिकाओं के सभापति चुने जायेंगे।"	243द
5.	**श्री गुलाम रसूल मट्टू** पृष्ठ 2, पंक्ति 29—33 का लोप करें	243द

1	2	3
6.	**श्री चित्त बसु** पृष्ठ 2, पंक्ति 34—39 **के स्थान पर** निम्नलिखित **परतिस्थापित करें** "(4) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नगरपालिका में नगरपालिका क्षेत्र के संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, सहित नगरपालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान व अनुभव वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करेगा।"	243द
7.	**श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन** पृष्ठ 2, पंक्ति 40—46 **के स्थान पर** "इस विधि से चुनाव जैसाकि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा प्रावधान करे।" निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** "नगरपालिका के अपने सदस्यों में से ही चुने गये प्रतिनिधि।"	243द
8.	पृष्ठ 2 पंक्ति 44 "कर सकेगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** "किया जाना चाहिए"	243ध
9.	**श्री गुलाम रसूल मट्टू** पृष्ठ 2, पंक्ति 43 "वार्ड स्तर" **के बाद** निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें** "उस वार्ड से चुने गये नगरपालिका पार्षद की अध्यक्षता के अधीन।"	243ध
10.	**श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन** पृष्ठ 2, पंक्ति 42 "नगरपालिका" **के बाद** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** "जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है।"	243ध
11.	**श्री पवन कुमार बंसल** पृष्ठ 3, पंक्ति 5—9 **के स्थान पर** "243 न, अनुच्छेद 243 घ [खण्ड (4) के परन्तुकों के सिवाय], 243 च, 243 ज, 243 झ, 243 ट, 243 ठ खण्ड (2) के सिवाय] 243 ठ और 243 ण के प्रावधान पंचायत की तरह नगरपालिका पर यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगे। 243 न क (1), प्रत्येक नगरपालिका, यदि शीघ्र भंग नहीं हो जाती तो वह अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्षों तक कार्य करेगी और इससे अधिक नहीं और पांच वर्षों की उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर वह भंग नगरपालिका के रूप में कार्य करेगी; बशर्ते नये चुनाव कराने के लिए पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व कार्यवाही आरंभ कर दी जाये और इस प्रकार निर्वाचित नई नगरपालिका विगत नगरपालिका के कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यभार संभालेगी। और बशर्ते यह कि यदि विशेष कारण विद्यमान हों, तो राज्य विधान मंडल इस प्रयोजन के लिए एक संकल्प द्वारा नए चुनाव के लिए समय बढ़ाये। (2) यदि राज्यपाल राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा इस बात से संतुष्ट हो कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जो इस बात को इंगित करती है कि कोई नगरपालिका विधि द्वारा अथवा उसके अंतर्गत इसे सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके निष्पादन में निरन्तर चूकें करती है अथवा अपनी शक्तियों से बाहर कार्य करती है तो वह सरकारी राजपत्र में कारणों के विवरण सहित एक आदेश प्रकाशित कराकर आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि, जो कि छः माह से अधिक न हो, के लिए किसी नगरपालिका को निलम्बित कर सकता है अथवा नगरपालिका को भंग कर सकता है; बशर्ते कि निलम्बन अथवा भंग करने का आदेश देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा एक अवसर दिया जाना चाहिए, कि यह कारण बताया जाये कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और यदि कोई कारण बताया जाता है तो राज्यपाल द्वारा उस पर विचार किया जाना चाहिए; बशर्ते यह भी कि राज्यपाल को निलम्बित अथवा भंग करने के स्थान पर नगरपालिका के किसी विशेष विभाग अथवा स्कंध का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है;	243न

1	2	3

बशर्ते यह भी कि जहां नगरपालिका को निलम्बित कर दिया गया हो, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा तथा रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से समय समय पर निलम्बन की अवधि को बढ़ा सकता है जो औसतन एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते यह भी कि किसी नगरपालिका के निलम्बन अथवा भंग होने से अनुच्छेद 243ध के अंतर्गत गठित समितियों की रचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(3) जबकि कोई नगरपालिका अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही भंग हो जाती है, नगरपालिका के गठन के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन पूरा हो जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसके भंग होने की तिथि से छः माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए।

बशर्ते यह कि यदि विशेष कारण हों, तो राज्य विधान मंडल इस प्रयोजन के लिए एक संकल्प द्वारा छः माह की अवधि को बढ़ा कर एक वर्ष तक कर सकता है।" प्रतिस्थापित किया जाये।

12. श्री एस॰ के॰ टी॰ रामचन्द्रन 243 न

पृष्ठ 3, पंक्ति 6

"[खण्ड (3) को छोड़ कर]" का लोप किया जाये।

13. पृष्ठ 3, पंक्ति 9 के पश्चात् 243 न

"बशर्ते नगरपालिका के मामले में खण्ड 243 ङ के उपखण्ड (2) के प्रावधान लागू होंगे जो इस परिवर्तन के अध्याधीन होगा कि जहां भी उपखण्ड (2) में "भंग" शब्द आयेगा "भंग अथवा प्रतिस्थापित" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और "भंग" शब्द के स्थान पर "भंग अथवा प्रतिस्थापित यथास्थिति" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

बशर्ते यह भी कि नगरपालिका के मामले में खण्ड 243ण के प्रावधान लागू होंगे जो इन परिवर्तनों के अध्यधीन होंगे कि उसमें निम्नलिखित उपखण्ड (ग) जोड़ा जायेगा।

(ग) किसी नगरपालिका का भंग अथवा प्रतिस्थापन के बारे में किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार किसी प्राधिकरण अथवा ढंग को छोड़कर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।" अंतःस्थापित किया जाये।

14. श्री चित्त बसुः

खण्ड (1) 243 घ

"ऐसे स्थान चक्रानुक्रमानुसार आवंटित किए जायेंगे"

के स्थान पर

"ऐसे स्थान चक्रानुक्रमानुसार आवंटित किए जायें।" प्रतिस्थापित किया जाये।

15. श्री गुलाम रसूल मट्टू

खण्ड (1) 243 घ

"किसी पंचायत में विभिन्न क्षेत्रों का चक्रानुक्रम के पश्चात

"विशेष राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सिद्धांत पर" अंतः स्थापित किया जाये।

16. खण्ड (3) 243 घ

"पंचायत में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का चक्रानुक्रम"

के पश्चात

"विशिष्ट राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सिद्धांत पर"

अंतःस्थापित किया जाये।

17. श्री चित्त बसुः

खंड (2) के पश्चात 243 ङ

"(2क) (क) यदि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं कराये जाते हैं, तो राज्य सरकार इस प्रकार के स्थगन के कारणों को लिखित में रिकार्ड करने के पश्चात अनिवार्य प्रतीत होने पर, इस अवधि के लिए चुनाव स्थगित कर सकती है।

(ख) राज्य सरकार प्रतिस्थापन के आदेश देने से पूर्व नगरपालिका को हटाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधारों की गहराई से विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति करे जिसकी अध्यक्षता वर्तमान न्यायाधीश करें।

(ग) राज्य सरकार प्रतिस्थापन से पूर्व नगरपालिका, जिसके विरुद्ध कुप्रबंधन आदि के आरोप लगाये गये है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(घ) नगरपालिका के गठन हेतु चुनाव कार्य को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में इस प्रकार के प्रतिस्थापन की तिथि से छः माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य विधान मंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का तरीका निर्धारित करेगा।" — **अंत:स्थापित किया जाए।**

18. **श्री गुलाम रसूल मट्टू**

खंड (3) के पश्चात् 243 ङ

"(4) (क) प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों यथा सूखा, बाढ़, आपात अथवा प्राकृतिक विपदा आदि के कारण छः माह की समाप्ति के बाद चुनाव कराना संभव न होने की स्थिति में, चुनाव को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिखित आदेश द्वारा और आगे छः महीने के लिए स्थगित किया जा सकता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करके ऐसा कर सकता है, और जो छः माह से अधिक समय बढ़ाये जाने के कारणों की संसद को सूचना देगा।

(ख) एक वर्ष से अधिक की समयावधि बढ़ाने का कार्य केवल संसद द्वारा किया जा सकता है और वह भी संबंधित मंत्रालय द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने और संसद को अपनी सिफारिशें देने के पश्चात किया जा सकता है।"—**अंत:स्थापित किया जाये।**

19. **श्री चित्त बसु:**

"विघटित" जहां कहीं भी यह आता है 243 ङ

—के पश्चात

"अथवा प्रतिस्थापित"—**अंत:स्थापित किया जाये।**

20. **श्री गुलाम रसूल मट्टू:**

खंड (2) के स्थान पर 243 ङ

"(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित निर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो गया है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न निर्णय के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजा जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।"—**प्रतिस्थापित किया जाये।**

21. **श्री चित्त बसु:**

खंड (2) 243 च

"राज्यपाल" **के पश्चात** "जो किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा।" — **अंत:स्थापित किया जाये।**

22. **प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य:**

खंड (घ) के पश्चात 243 ज

"(ङ) उसी राज्य में स्थित रेलवे सहित सभी सरकारी संपत्तियों पर नगर निकायों द्वारा विधि द्वारा संपत्ति कर लगाये जाने का प्रावधान किया जाये।" — **अंत:स्थापित किया जाये।**

1	2	3
23.	**श्री गुलाम रसूल मट्टू:**	
	खंड (1) **में**	243 झ
	उपखंड (क) (तीन) **के पश्चात**	
	"(चार) भारत की संचित निधि से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।	
	(पांच) राज्य का वित्त आयोग करों द्वारा, उगाही और शुल्क अथवा अन्य किसी भी साधन के द्वारा नगरपालिकाओं के संसाधनों में और वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के क्षेत्रों के लिए भी सिफारिश करें।	
	(छः) यदि 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले महानगर ऐसे राज्य में स्थित हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विशेष सहायता अनुदान की स्वीकृति दी है, तो उस राज्य का वित्त आयोग उन क्षेत्रों का पता लगाये और निर्धारित करे जिनके लिए यह राशि खर्च की जा सकती है।	
	— **अंत:स्थापित किया जाये।**	
24.	**श्री चित्त बसु:**	
	पृष्ठ 3, पंक्ति 10-17 **के स्थान पर**	243 प
	"243प राज्य विधान मंडल विधि द्वारा ऐसी रीति और प्रारूप निर्धारित करेगा, जिसमें नगर निगम के लेखाओं को सुरक्षित रखा जाये और लेखा परीक्षा की जा सके।" — **प्रतिस्थापित किया जाये।**	
25.	**प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य:**	
	पृष्ठ 3, पंक्ति 10-17 **के स्थान पर**	243 प
	"243प अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित नगर निगमों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जायेंगे जैसा कि राज्य विधान मंडल, विधि द्वारा प्रावधान करे।" — **प्रतिस्थापित किया जाये।**	
26.	**श्री एस॰ विझुतलै विरुम्बी:**	
	पृष्ठ 3, पंक्ति 15—17 में	243 प
	"राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी जो उन्हें समक्ष रखवाएगा।" — **का लोप किया जाये।**	
	श्री एस॰के॰टी॰ रामचन्द्रन:	
27.	पृष्ठ 3, पंक्ति 18	243फ
	"करे" **के स्थान पर**	
	"करेगा" — **प्रतिस्थापित किया जाये।**	
	श्री एस॰ विझुतलै विरुम्बी:	
28.	पृष्ठ 3, पंक्ति 30 से 31	243फ
	में निम्नलिखित का **लोप करें**	
	"जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है।"	
29.	पृष्ठ 3, पंक्ति 34 से 35 में निम्नलिखित का **लोप करें**	243फ
	"जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है।"	
	प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य:	
30.	पृष्ठ 3, पंक्ति 36 से 43 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:**	243ब
	"243 ब. अनुच्छेद 244 के खण्ड (2) में दिए गए जनजाति क्षेत्रों और खण्ड (1) में दिए गए अनुसूचित जातियों के लिए इस भाग की कोई बात के लागू होने का प्रावधान जैसा और जितना राज्य विधान मण्डल ठीक समझे।"	

1	2	3
	श्री गुलाम रसूल मट्टू:	
31.	पृष्ठ 3, पंक्ति 42 से 43 "जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें:** "संबंधित राज्य विधान मंडल की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद"	243अ
	श्री चित्त बसु:	
32.	पृष्ठ 3, पंक्ति 43, निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें:** "ऐसी विधि" **के पश्चात्** "राज्य विधान मंडल की सहमति से"	243अ
	श्री गुलाम रसूल मट्टू:	
32.	पृष्ठ 3, अनुच्छेद 243 ब **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें:** "243 भ (1) केन्द्रीय सरकार संसाधनों की वृद्धि करने हेतु भारत की संचित निधि में से अनुदान राशि स्वीकृत कर सकती है जोकि संबंधित राज्य के वित्त आयोग द्वारा विभिन्न नगरपालिकाओं को आवंटित की जाएगी। (2) केन्द्रीय सरकार राज्य वित्त आयोग द्वारा पता लगाए गए विशेष उद्देश्यों हेतु उन महानगरों के लिए अनुदान राशि मंजूर कर सकती है जिनकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक है। 243 म, केन्द्रीय सरकार जहां तक संभव होगा प्रयास करेगी और राज्य की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विधान मंडल नगरपालिकओं के संविधान के लिए समरूप विधि बनाएं ताकि नगरपालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि अधिक और प्रभावी शक्ति का प्रयोग कर सकें।"	नए अनुच्छेद 243भ और 243म का अंत:स्थापन
	श्री एस॰ विदुतलै विरुम्बी	
34.	पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 24 का **लोप करें।**	बारहवीं अनुसूची
35.	**श्री चित्त बसु :** पृष्ठ 4, पंक्ति 22 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें:** "17 पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप आदि।"	बारहवीं अनुसूची
	श्री एस॰के॰टी॰ रामचन्द्रन:	
36.	पृष्ठ 10, पंक्ति 22 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत: स्थापित करें:** "17 पथ प्रकाश"	बारहवीं अनुसूची

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 3 जुलाई, 1992 को 17.15 बजे से 18.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री के॰पी॰ सिंह देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री चित्त बसु
3. श्री गिरधारी लाल भार्गव
4. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य
5. श्री दाऊ दयाल जोशी
6. श्री शंकर राव डी॰ काले
7. श्री ताराचन्द खंडेलवाल
8. डा॰ देवी प्रसाद पाल
9. श्री हरि केवल प्रसाद
10. श्री हरि किशोर सिंह
11. श्री पी॰सी॰ थामस

राज्य सभा

12. श्री एन॰ई॰ बलराम
13. श्री राधाकिशन मालवीय
14. श्री गुलाम रसूल मट्टू
15. श्री एस॰के॰टी॰ रामचन्द्रन
16. श्री दिग्विजय सिंह
17. श्री के॰एन॰ सिंह
18. श्री एस॰ विदुतलै विरुम्बी

सचिवालय

श्री एस॰सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर॰के॰ चटर्जी — उप सचिव
श्री राम कुमार — सहायक निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री के॰ धर्मराजन — संयुक्त सचिव
डा॰ (श्रीमती) किरन चड्ढा— उप सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री बी॰एस॰ सलूजा, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

2. प्रारम्भ में, समिति ने कुमारी शैलजा को शिक्षा और संस्कृति उप मंत्री का पद भार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक, यथासंशोधित, पर विचार किया और उसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किया—

(एक) अनुच्छेद 243 त में—

खण्ड (क) के बाद, नया खण्ड (ख) अंतर्विष्ट करें:

(ख) "जिला" का तात्पर्य है किसी राज्य में राजस्व जिला और अन्य खण्डों को खण्ड (ग) से (ज) के रूप में पुनः वर्णबद्ध करें।

(दो) पुनः वर्णबद्ध खण्ड (ग) में "बीस लाख" के स्थान पर "दस लाख" प्रतिस्थापित करें।

4. तत्पश्चात समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे निम्नलिखित संशोधन के अध्याधीन स्वीकार किया—

"पैरा 1.17 में

"महानगरीय क्षेत्र" शब्द जहां कहीं भी आए इनसे पूर्व "जिला" शब्द अंतर्विष्ट करें।"

समिति ने विधायी सलाहकार को प्रारूप प्रकृति की कतिपय छोटीमोटी शुद्धियां करने के लिए प्राधिकृत किया।

5. सभापति ने सदस्यों का ध्यान टिप्पण के संबंध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 87 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर दिलाया और घोषणा की कि विपति टिप्पण* यदि कोई हो, तो उसे सोमवार 6 जुलाई, 1992 को 16.00 बजे तक लोक सभा सचिवालय को भेज दिया जाये।

6. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री चित्त बसु को शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य रिकार्ड को सभापटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति ने श्री एन०ई० बलराम को और उनकी अनुपस्थिति में श्री के०एन० सिंह को शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992 को प्रतिवेदन और साक्ष्य रिकार्ड को राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत भी किया।

7. समिति ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा प्राप्त विधेयक के प्रावधानों संबंधी टिप्पणियों / सुझावों वालों ज्ञापन के दो सेट संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात संसद ग्रंथालय में रखे जायें।

8. समिति ने शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार (श्री बी०एस० सलूजा) द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की।

समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और सभी मामलों में समिति के कार्य को सुगम बनाने और प्रारूप प्रतिवेदन को तुरन्त तैयार करने में दिए गए उनकी बहुमूल्य सहयोग के लिए प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया।

9. सभापति ने समिति के सदस्यों को पूर्ण सहयोग और हर समय समिति की कार्यवाहियों में रूचिपूर्ण ढंग से भाग लेने और समिति द्वारा विचार-विमर्श के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए धन्यवाद दिया।

10. समिति के सदस्यों ने भी सभापति महोदय (श्री के०पी० सिंह देव) को समिति की कार्यवाही को अत्यधिक सक्षम रूप से चलाने और विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं में समिति के विचार विमर्श को मार्गदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो, में दिनांक 16 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित ।

PARLIAMENT LIBRARY

CB(II) No. 375

LOK SABHA

JOINT COMMITTEE

ON

THE CONSTITUTION (SEVENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 1991 (INSERTION OF NEW PART IXA AND ADDITION OF TWELFTH SCHEDULE)

EVIDENCE

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

July, 1992/Asadha 1914 (Saka)

Price: Rs. 25.00